

भारत एक है : वस्तुओं के लिए भी और संविधान की दृष्टि से भी

11

अध्याय

“कहां घरों की छोटी-छोटी दीवारों ने दुनिया को टुकड़े-टुकड़े नहीं किया है?”

-रवीन्द्रनाथ टैगोर

सामान्य धारणा यही है कि भारत राजनीतिक दृष्टि से तो एक हो चुका है किन्तु अभी पर्याप्त आर्थिक एकीकरण नहीं हो पाया है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के बीजक या चालान स्तर एक अभिनव विषय जानकारी स्रोत के आधार पर हमारा यह अध्याय वस्तुओं के विशाल स्तरीय आंतरिक व्यापार की व्याख्या कर रहा है। भारत का आंतरिक व्यापार जीडीपी अनुपात 54 प्रतिशत है और यह विश्व के बड़े देशों के समतुल्य ही है। इस अध्याय में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार प्रवाहों को भी कलमबंद किया है। यहां मूलतः पूर्व अपेक्षाओं जैसा ही चित्र उभरता है, किन्तु कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी स्पष्ट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश विनिर्मित वस्तुओं का निवल निर्यातक है। अतः यह विनिर्माण उद्योगों में स्पर्धाशील है। अध्याय के अंतिम भाग में हम यह चर्चा कर रहे हैं कि एक भारत के निर्माण में संविधान की व्यवस्थाओं का कितना सहयोग रहा है।

विषय प्रवेश

11.1 दशकों पूर्व जब राजकपूर ने बहुत मनोभावपूर्ण गीत गाया था- “फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी” वह संभवतः अनजाने में ही तुलनात्मक राष्ट्रीय विकास की एक गहन अंतरानुभूति को व्यक्त कर रहे थे। कभी बिस्मार्क ने कहा था, “हमने यूरोप तो बना लिया है, अब यूरोपीय व्यक्तियों को पैदा करने की जरूरत है”। उसके प्रत्युत्तर में राजकपूर का कहना है, “भारत के आधार निर्माताओं ने निश्चित रूप से सोच विचार कर भारतीयता भरे समाज और राजनीतिक चिंतन की रचना कर दी थी।¹ हां इस प्रश्न पर विचार अभी बाकी है कि क्या उन्होंने एक आर्थिक भारत की भी रचना कर दी थी, जिसका एक बाजार वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन का स्वागत करता हो। संविधान एवं संविधान सभा की चर्चाओं के सतर्कतापूर्ण अध्ययन से

अनिश्चितता के संकेत मिलते हैं, हां सरसरी तौर पर ऐसा लगता है कि एक आर्थिक भारत के निर्माण की आवश्यकताओं को राज्यों की संप्रभुता बनाए रखने के तकाजों के अधीन छोड़ दिया गया था (देखें भाग-2 आगे)।²

11.2 यह अध्याय समीक्षा कर रहा है कि जिस भारत ने बार-बार अपने एक भारतीयता के राजनीतिक चिन्तन को दोहराया और सिद्ध किया है, वह किस सीमा तक एक आर्थिक भारत बन पाया है। एक ऐसे समय में जहां अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के विचार पर प्रहार हो रहे हैं वहीं भारत एक विशद युगांतकारी सुधार लागू कर “एक भारत, एक बाजार, कर कर” रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करते समय यह प्रश्न पूछना स्वाभाविक ही है कि अब तक भारत में किस स्तर तक आर्थिक एकीकरण हो पाया है। एक बात स्पष्ट कर दें

¹ यह इटली के एकीकरण के बाद उस देश के एक राजनेता मस्सीमो द एज्जिलियो के प्रसिद्ध कथन-हमने इटली बना लिया है, अब हमें इटली वाले लोग बनाने हैं, का ही परिवर्तित रूप है।

² यूरोप के एकीकरण की कठिनाइयां, ब्रेक्जिट और पहले यूरो की रचना पर कटुतापूर्ण बहस से तो प्रतीत होता है कि भारत में उठाए गए कदम न केवल अनुपयुक्त नहीं थे, बल्कि वे तो भविष्य के दूर्जन से पूर्ण थे।

: इस अध्याय में, यदि अलग से कुछ नहीं कहा गया हो, तो व्यापार का अर्थ भारत के विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार से ही होगा।

11.3 हम अपनी समीक्षा GSTN के बीजक आधारित अन्तर्राज्यीय वस्तु प्रवाहों के विषय आंकड़ा समुच्चय के आधार पर कर रहे हैं। इन आंकड़ों की रचना की विस्तृत जानकारी तो बॉक्स 1 में आपको मिल पाएगी। अभी तो हम उन मुख्य बातों को संक्षेप में समझा रहे हैं जो उन आंकड़ों से उभर कर आ रही है।

11.4 (कुछ क्षेत्रों में व्याप्त) धारणाओं एवं कुछ नवीन अनुमानों के विपरीत भारत आंतरिक रूप से बहुत ही एकीकृत है। यहां वस्तुओं और व्यक्तियों के निरंतर चलते रहने वाले प्रवाह बहुत विशाल हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

- अंतर्राज्यीय व्यापार प्रवाह के सर्वप्रथम आंकलित अनुमान दर्शा रहे हैं कि उन राज्यों की सीमाओं के आरपार तथा विभिन्न फर्मों के बीच लेनदेन जीडीपी के कम से कम 50 प्रतिशत अंश के समान अवश्य है। इसका अर्थ है कि देश का आंतरिक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से 1.7 गुणा अधिक है। दो दोनों आंकड़े शेष अधिकार क्षेत्रों से बेहतर ही सिद्ध होते हैं। व्यवहारिक रूप से ही सही, भारत में आन्तरिक रूप से सुदृढ़ एकीकरण विद्यमान है। अधिक तकनीकी स्तर का आंकलन भी इसी बात की पुष्टि कर रहा है कि भारत में भी व्यापार की लागतें उसी स्तर पर व्यापार में कमी ला देती हैं जिस पर अन्य देशों में (यह कमी) हो रही है।
- एक अन्य उत्साहजनक अवलोकन के लिए अभी हमारे पास प्रारंभिक आधार तो है, निश्चयात्मक नहीं। उसके अनुसार राजनीतिक सीमाएं भले ही व्यक्तियों के प्रवाहों को कुछ बाधित कर रही हों, किन्तु भाषा मूलतः हिन्दी वस्तुओं के प्रवाहों के मार्ग में बाधा के रूप में दिखाई नहीं देती।
- वस्तु प्रवाहों का स्वरूप पूर्वापेक्षाओं के अनुरूप ही लगता है, किन्तु यहां कुछ आश्चर्यजनक तथ्य भी स्पष्ट हुए हैं :
- यदि GSDP से व्यापार के अनुपात की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल और गोआ जैसे छोटे राज्य

अधिक व्यापार करते हैं। विनिर्माण शक्ति केन्द्र तमिलनाडू और गुजरात निवल निर्यातक हैं तो मुख्यतः कृषि प्रधान माने जाने वाले उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी नोयडा और गुरुग्राम के दम पर औद्योगिक शक्ति केन्द्र बन गए हैं। इन प्रदेशों के ये दो जनपद तो बृहतर दिल्ली के विशाल शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन गए लगते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि व्यक्तियों के आवागमन की लागत वस्तुओं से दुगुनी हैं (अध्याय 12)।

- भारत में आंतरिक वस्तु व्यापार के उच्च अनुमानों के लिए एक आशंका भी है। यह वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का एक संभावित परिणाम है। यह व्यवस्था अंतर्राज्यीय वस्तु प्रवाह को अंतःराज्यीय प्रवाह पर वरीयता दे रही है। ऐसा अन्तिम उपभोग वस्तुओं, कर मुक्त वस्तुओं और 30 वस्तुओं के विषय में विशेषकर हो रहा है जिनके लिए आदान पर लगे कर का लाभ नहीं मिलता। यदि यह सत्य है तो जीएसटी इन विद्वेषताओं का निवारण कर अंतर्राज्यीय व्यापार को सामान्य बना देगा।³
- **एक अन्तिम अवलोकन :** हम केवल विभिन्न फर्मों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार का ही परिणाम निर्धारण नहीं कर पा रहे, हमारे आंकलन में एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रही फर्मों की शाखाओं के बीच हो रहा व्यापार भी सम्मिलित है। यह व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है, एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच व्यापार फर्मों के सकल व्यापार का 68 प्रतिशत है और इस पर व्यापार की लागतों का प्रभाव विभिन्न फर्मों के बीच व्यापार की अपेक्षा अधिक गहरा पड़ता है। यह इस कारण से भी हैरानी की बात है कि हमारा संविधान तो एक बाजार पर राज्य की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखने की बात करता है।

11.5 अध्याय की रचना इस प्रकार की गई है; भाग-1 में हम व्यापार पर अपने अवलोकन और निष्कर्ष दर्ज कर रहे हैं। भाग-2 में अन्य प्रतिमानों से तुलना करते हुए आंतरिक एकीकरण पर संवैधानिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। यहां चर्चा का विषय है : क्या कानून भारत के आर्थिक एकीकरण को अधिक सक्रिय रूप से सहज बना सकते हैं?

³ जीएसटी बेहतर अनुपालन, स्पर्धी संवर्धक लाभों एवं अन्य मार्गों से कर संग्रह में वृद्धि भी कर सकता है।

भाग 1 : एक भारत : वस्तुओं का आंतरिक व्यापार

रेखाचित्र 1 : एक राज्य की सीमा पर सामान ला रहे ट्रकों की भीड़
(© Yann Forget / Wikimedia Commons / CC-BY- SA-3.0)



11.6 राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की लम्बी-लम्बी कतारें और उनके चालकों के अधिकारिक अनुमति के लिए अफसरों से बहस या उनसे की जा रही गैर कानूनी उगाही (घूसखोरी) के नजारे तो अब सुविख्यात हो चुके हैं (देखें चित्र 1)। इनके परिणाम स्वरूप व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर होने वाले अघातों को भी भली प्रकार रिकार्ड किया जा चुका है। किन्तु क्या भारत के इस प्रकार के निकृष्ट चित्रण में कुछ वास्तविकता भी है?

11.7 व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं का तो बहुत अध्ययन हुआ है किन्तु देशों के भीतर विद्यमान व्यापार तंत्रों और राजनीतिक-सांस्कृतिक बाधाओं की ओर कम ध्यान दिया गया है। विस्तृत अंतर्राज्यीय व्यापार के सूचना आधार के अभाव में भारत में विद्यमान अंतःराष्ट्रीय व्यापार बाधाओं का अध्ययन विश्लेषण अभी तक एक बड़ा चुनौति भरा कार्य बना हुआ था। यह अध्याय एक अभिनव सूचना

स्रोत का प्रयोग कर आंतरिक व्यापार का सर्वप्रथम अनुमान आंकिलत करने का प्रयास कर रहा है। यह स्रोत है केन्द्रीय विक्रय कर के संग्रह की वह जानकारी, जो कर सूचना अंतरण प्रणाली (TINXSYS) द्वारा अंकित हो जाती है।⁴ ये आंकड़े परिवहन की सभी विधियों/माध्यमों (सड़क सहित), से हो रहे व्यापार को समाहित कर रहे हैं/पहले ऐसा नहीं हो पाता था।

I. क्या भारत अन्य देशों की अपेक्षा अधिक व्यापार करता है?

11.8 तालिका 1 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार प्रवाहों की अन्य देशों के प्रवाहों से तुलना की जा रही है। परिणाम बहुत आश्चर्यजनक हैं : भारत का अंतर्राज्यीय व्यापार (जीडीपी का 54 प्रतिशत) संयुक्त राज्य अमेरिका के 78 प्रतिशत और चीन के 73 प्रतिशत जितना तो नहीं है लेकिन कनाडा के प्रादेशिक तथा यूरोपीय संघ

⁴ अभी तक भारत में अन्तःराष्ट्रीय व्यापार का एक मात्र अध्ययन कोलकाता स्थित व्यापारिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी महानिदेशक द्वारा ही हुआ है। इसमें केवल रेल, वायु और आंतरिक जलमार्गों से व्यापार की जानकारी है- सड़क व्यापार का सबसे बड़ा घटक इससे छूट जाता है। यही नहीं, यह केवल परिमाण के आंकड़े हैं- रूपयों में व्यापार के मूल्य की जानकारी यहां नहीं मिल पाती देखें <http://www.dgcskol.nic.in/vaaniya/Indiapercent20Internalpercent20Trade.pdf>

के देशों के बीच व्यापार से कहीं अधिक है (यूरोपीय संघ देशों के बीच व्यापार पर “चार स्वतंत्रताएं” भी लागू हैं, उनके कारण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और जनशक्ति का एक सदस्य से दूसरे में प्रवाह निर्बंध रहता है)। भारत में तो एक और विलक्षणता भी है : हमारे आंकड़े केवल निर्मित वस्तुओं के आंकड़ें हैं, इनमें कृषि उत्पाद सम्मिलित नहीं है। अतः ये आंकड़े आंतरिक व्यापार का

न्यून अंकन ही कर पाते हैं।⁵ भारत के राज्यों के बीच व्यापार का एक बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, तो फर्मों के भीतर (विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों के बीच) स्टॉक का अंतरण ही है। दूसरे शब्दों में फर्मों का आंतरिक लेनदेन उनके बीच लेनदेन से कहीं अधिक है।⁶


11.9 व्यापार के परिणाम को जांचने की एक अन्य

तालिका 1 : अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय व्यापार प्रवाहों की तुलनाएं

देश	वर्ष	अंतरराज्यीय/GDP	अंतरराष्ट्रीय/(GDP)	अंतर्राज्यीय से अंतर्राष्ट्रीय का अनुपात
ब्राजील ^c	1999	76%	14%	5.4
संयुक्त राज्य अमरीका ^d	2015	78%	31%	2.5
भारत (C+F form)	2015	54%	32%	1.7
भारत (C Form)	2015	32%	32%	1
चीन ^d	2009	74%	45%	1.6
कनाडा ^b	2012	20%	62%	0.3
यूरोपीय संघ ^e	2015	20%	84%	0.2
इंडोनेशिया ^f	2005	12%	63%	0.2

a: Freight Analysis Framework Data Tabulation Tool, b: Statistics Canada, c: Eurostat, d: Xing, Whalley and Li(2015), e: Vasconcelos (2001), f: Firdaus and Widiyasanti (2010)

रेखाचित्र 2 : अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुपात : क्षेत्रफल के लघुगणकानुसार



⁵ वर्तमान अध्ययन भी उन्हीं वस्तुओं तक सीमित है जिन पर केन्द्रीय विक्रय कर लगता है। मोटेतौर पर यहां दर्शाया गया व्यापार का स्वरूप विनिर्मित वस्तुओं का ही है, कृषिक और सेवा क्षेत्र इससे बाहर रह जाते हैं। बॉक्स 1 में हमारी TINXSYS की जानकारी को अंतर्राज्यीय व्यापार के विश्लेषण के योग्य बनाने की युक्तियों-विधियों की रूपरेखा दर्शाई गई है।

⁶ आगे वाले भागों में हम फर्मों के बीच व्यापार को C-फॉर्म तथा आन्तरिक व्यापार को F-फॉर्म व्यापार का नाम दे रहे हैं। यह विभाजन CST व्यवस्था के प्रशासन द्वारा थोपी गई प्रक्रियागत विवशता का परिणाम है। C-फॉर्म के अंतर्गत व्यापार पर 2 प्रतिशत दर से केन्द्रीय विक्रय कर लगता है जबकि F-फॉर्म के अंतर्गत तो स्टॉक का फर्म की एक शाखा या उसके एक गोदाम से दूसरे को अंतरण होता है, उस पर कोई कर देयता नहीं होती।

विधि विभिन्न देशों के आंतरिक व्यापार की उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तुलना की विधि है। भारत का आंतरिक व्यापार इसके विदेशी व्यापार से 1.7 गुना है (यहां विदेशी व्यापार जीडीपी का 32 प्रतिशत है)। इस कसौटी के अनुसार भारत की व्यापार रचना चीन जैसी ही है, जहां यह अनुपात 1.6 बनता है। किन्तु भारत का अनुपात संयुक्त राज्य अमेरिका से कम रह जाता है जहां आंतरिक व्यापार विदेशी व्यापार से 2.5 गुणा है।

11.10 व्यापार के मानक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से एक अनुभूति प्राप्त होती है : बड़े देश अपने बड़े आंतरिक बाजार के कारण अपनी सीमाओं के भीतर ही अधिक व्यापार करते हैं (विदेशों से कम)। रेखाचित्र 2 में भारत और अन्य देशों लिए आंतरिक-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुपातों को उन देशों के अपने-अपने आकार के साथ अंकित किया गया है। इस कसौटी पर दो देश बहिष्पायी प्रतीत होते हैं : कनाडा, जिसका यह अनुपात उसके आकार की अपेक्षा बहुत कम है और मैक्सिको, जहां व्यापारों का अनुपात उसके अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक है। इनके विपरीत भारत में तो यह अनुपात मानक या अपेक्षित अनुपात के निकट ही है। अब भारत विदेशी व्यापार से असंबद्ध देश तो नहीं रहा है (रेखाचित्र 1ख, अध्याय 2) और न ही इसे आंतरिक दृष्टि से व्यापार बाधित कहा जा सकता है।


II. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिर्माण के बीच संबंध

11.11 रेखाचित्र 3 में विभिन्न राज्यों के GSDP में विनिर्माण क्षेत्र के अंश के अनुसार उनके C-फॉर्म और F-फॉर्म व्यापार प्रवाह राज्य GSDP के अनुपात के रूप में अंकित किए गए हैं।⁷ राज्य की GSDP में विनिर्माण के अंशों तथा व्यापार परिमाणों (GSDP के अनुपात के रूप में) के बीच सशक्त सह संबंध है। यह अपेक्षा के अनुरूप ही है, क्योंकि हमारे आंकड़ों में केवल विनिर्माण उद्योग के उत्पाद शामिल है।⁸ इस चित्र में एक अन्य विशेष बात स्पष्ट हो रही है :

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोआ की GSDP में

विनिर्माण शक्ति अन्य राज्यों के साथ इनके अधिक व्यापार में भी झलक रही है। इसके कारणों पर हम अगले अनुच्छेदों में चर्चा करने जा रहे हैं।

रेखाचित्र 3 : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिर्माण उत्पादन के बीच संबंध



III. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप : विभिन्न फर्मों के बीच व्यापार⁹

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुलापन (निर्यात + आयात)

11.12 रेखाचित्र 4 में भारतीय राज्यों के आंतरिक व्यापार को उनके GSDP के अनुपात के रूप में अंकित किया गया है। इस कसौटी पर सबसे खुलेपन वाले राज्य उत्तराखंड, गोआ और हिमाचल प्रदेश हैं। उनके बाद गुजरात, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश का क्रम है जो पीछे की ओर से शुरू होता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडू जैसे उच्च GSDP राज्य तो इन अनुक्रम में शिखर के आसपास भी नहीं फटकते, वैसे उनके व्यापार GSDP अनुपात भी अच्छे खासे हैं, 33 प्रतिशत और 24 प्रतिशत। यह भारत की आंतरिक सीमा रेखाओं के छिद्र भरे स्वरूप के प्रथम सूचक हैं। ये छिद्र इसके जटिलता भरे नियमों-सन्नियमों का परिणाम अधिक लगते हैं।


11.13 हम यह बात दो सकारात्मक बहिष्पायी राज्यों,

⁷ GSDP में विनिर्माण का अंश सरल औसत है और इसे CSO-2011-12 पर आधारित श्रृंखला से 2012-15 वर्षों के आंकड़ों से आंकलित किया गया है।

⁸ यह संबंध GSDP में निर्यात के अंश तथा GSDP में विनिर्माण के अंश के बीच भी मान्य रहता है।

⁹ C-फॉर्म आधारित व्यापार प्रवाह सारे राज्यों के सम्मिलित व्यापार के बहुत निकट होगा, हां, इसमें उत्तर पूर्वी राज्य, पंजाब और केन्द्रशासित राज्यों की जानकारी नहीं है।

रेखाचित्र 4 : अंतर्राज्यीय व्यापार (GDP का प्रतिशत)




हिमाचल और उत्तराखण्ड के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, इनके अतिउच्च व्यापार परिमाण में एक बड़ा योगदान यहां चल रही विनिर्माण इकाइयों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से मुक्ति का हो सकता है।¹⁰ इन राज्यों के बहिष्प्रायी स्वरूप की और अधिक पुष्टि उस समय होगी, जब हम अगले अनुच्छेदों में 'गुरुत्वाकर्षण' संबंधों पर चर्चा करेंगे कि क्या (सचमुच) छोटे प्रांत बड़ों की अपेक्षा अधिक व्यापार करते हैं।

11.14 निम्न निष्पादन के पक्ष के बहिष्प्रायी प्रांत हैं : असम (5.3 प्रतिशत), बिहार (9.9 प्रतिशत) और केरल (17.9 प्रतिशत)। इनका व्यापार के प्रति खुलापन उनके आकार की अपेक्षा कम है। किन्तु यदि रेखाचित्र 3 की जानकारी पर एक बार पुनः विचार करें तो यह विचित्र नहीं लगता। इन प्रांतों में विनिर्माण का GSDP में अंश भी कम है। एक अन्य संभव कारण भी है : हमारे विश्लेषण में उत्तरपूर्वी राज्यों को स्थान नहीं दिया गया है और संभव है कि वे असम तथा बिहार के महत्वपूर्ण व्यापारी सहयोगी राज्य हों।

11.15 रेखाचित्र 5 में भारत, कनाडा और संयुक्त राज्य के प्रांतों के बीच (आंतरिक) व्यापार तथा उनके भूक्षेत्रों के लघु गणकों के बीच संबंध दर्शाया गया है। भारतीय राज्य अपने आकार और अन्तः तथा अन्तर्फल व्यापार के प्रति खुलेपन के बीच ऋणात्मक संबंध दर्शा रहे हैं। किन्तु भारत के विपरीत कनाडा और संयुक्त राज्य के प्रांतों में भूक्षेत्र और व्यापार के प्रति खुलेपन में एक

निर्बल-सा सह संबंध दिखाई दिया है। प्रतीपगमन रेखा संयुक्त राज्य में प्रायः X- अक्ष के समांतर ही है। अतः भारत के राज्य इस कथन का अधिक समर्थन कर रहे हैं कि छोटी भौगोलिक व्यवस्थाएं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अधिक व्यापार करती हैं (कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही)। अतः इस संबंध को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात का अन्य समानप्रायः राज्यों की अपेक्षा अधिक व्यापार कर पाना कहीं न कहीं उनकी आंतरिक कर प्रणालियों का परिणाम हो सकता है।

रेखाचित्र 5 : भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंतर्राज्यीय व्यापार (GDP के अनुपात में)



11.16 यदि निर्यात और आयात का योगफल किसी राज्याधिकार क्षेत्र के खुलेपन का मापक है तो उस राज्य का व्यापार शेष किसी न किसी रूप में उसके विनिर्माण क्षेत्र की स्पर्धाशीलता का सूचक बन सकता है। व्यापार के प्रति वाणिज्यवादी दृष्टिकोण तो निर्यात को 'अच्छा' और आयात को 'बुरा' मानता रहा है। अतः किसी भी राज्याधिकार क्षेत्र के आर्थिक सामर्थ्य का मापक इसके निवल व्यापार का संतुलन (स्तर) होगा। यहां निवल निर्यात 'सामर्थ्य' का तथा निवल आयात सामर्थ्यहीनता का प्रमाण माना जाएगा।


11.17 रेखाचित्र 6 में अंतर्फल व्यापार प्रवाहों के राज्यानुसार व्यापार शेष को GSTN आंकड़ा सार के आधार पर प्रदर्शित किया गया है।¹¹ इस कारण से

¹⁰ हिमाचल में बददी/सोलन/गुरू माजरा क्षेत्रों में लगी औद्योगिक इकाइयों तथा उत्तराखण्ड में SIDCUL के क्षेत्रों से व्यापार के प्रवाह बहुत प्रबल हैं। इन्हीं क्षेत्रों में इन राज्यों में बहुत से उद्योग संकुलित भी हैं।

¹¹ C-फॉर्म और F-फॉर्म की जानकारी देने की बाध्यताएं भिन्न होने के कारण अन्तः और अन्तर्फल व्यापार के राज्य स्तरीय प्रतिदर्श अलग-अलग रह जाते हैं। राज्यों के लिए F-फॉर्म आंकड़े TINXSYS पर दर्ज करने की कोई बाध्यता नहीं है। अतः इनके आयात प्रवाह आंकड़ा सार में दिखाई ही नहीं देते। इनके व्यापार प्रवाह को सकल आंकलन से बाहर रखते हुए आयातक निर्यातक राज्यों का एंसा संतुलित समूह चुना गया है जो दोनों प्रकार की जानकारी दर्ज करा रहा है।

उत्तराखंड में GSDP के 45 प्रतिशत के समान व्यापार घाटा तो हरियाणा में GSDP के 25 प्रतिशत के समान व्यापार अतिरेक दिखाई दे जाता है।

रेखाचित्र 6 : व्यापार संतुलन (निवल निर्यात का जीडीपी से अनुपात, प्रतिशत)



11.18 बड़े विनिर्माण कर्ता राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडू का धनात्मक व्यापार शेष उनकी विनिर्माण क्षमताओं की स्पर्धा शक्ति का सूचक है। यह धनात्मक व्यापार शेष दिल्ली (7.4 प्रतिशत), हरियाणा (26.1 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (4.2 प्रतिशत) की एक विशेषता की ओर संकेत कर रहा है : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित गुरुग्राम और नोएडा कृषि प्रधान हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी विनिर्माण शक्ति केन्द्रों (भारतीय मानकों के अनुसार) के रूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं।


11.19 उच्चतम व्यापार GSDP अनुपात दर्शाने वाले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोआ तो मुख्यतः व्यापार घाटे वाले राज्य निकलते हैं। संभवतः इसका कारण अन्तःफर्म व्यापार प्रवाह के आयात पक्ष का अवलोकन से छूट जाना ही है। संभव है कि कर छूट आदि की “विशेष” सुविधा से लैस ये प्रदेश उत्पादन प्रक्रिया के कुछ मध्यवर्ती कार्यों को ही अपने क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हों और बस इस प्रकार अर्द्धनिर्मित माल का अन्तःफर्म आयात-निर्यात हो रहा हो। किन्तु निवल आधार पर अन्तःफर्म निर्यात प्रवाह का आंकलन नहीं हो पाता। हालांकि इस व्यापार के निर्यात पक्ष के आंकड़े तो F-फॉर्मों से मिल सकते हैं, किन्तु इन राज्यों ने तत्संगत

आयात के आंकड़े बताए ही नहीं हैं।

IV. अन्तर्राज्यीय व्यापार के स्वरूप : अन्तःफर्म व्यापार

11.20 रेखाचित्र 7 में हमने विभिन्न राज्यों की GSDP के अनुपात के रूप में उनके अन्तःफर्म व्यापारों के स्वरूपों का चित्रण किया है। इन आंकड़ों के आंकलन की विधि बॉक्स 1 में समझाई गई है। गोआ, गुजरात और महाराष्ट्र में अंतःफर्म व्यापार उतनी ही स्वतंत्रता से चल रहा है जितनी अंतःफर्म व्यापार को सुलभ है। अंतःफर्म व्यापार की न्यून स्वतंत्रता के छोर पर हैं : उत्तर प्रदेश (8.4 प्रतिशत), राजस्थान (11.8 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (15.5 प्रतिशत)। इन प्रांतों में कंपनियां स्थापित करने की उच्च लागतें संभवतः इनमें संभावित अंतःफर्म व्यापार प्रवाहों को बाधित कर रही हैं।

रेखाचित्र 7 : GSDP के प्रतिशत में अन्तःफर्म व्यापार




11.21 इसी प्रतिदर्श के अंतःफर्म और अन्तर्फर्म व्यापार की तुलना रेखाचित्र 8 में की गई है।¹² इन दो प्रकार के व्यापारों में कोई सह संबंध नहीं दिखाई देता अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि अंतःफर्म व्यापार के उपयुक्त वातावरण वाला प्रांत अंतर्फर्म व्यापार के लिए भी उतने ही खुलेपन का परिचय दे रहा हो। मध्य प्रदेश तो अंतःफर्म व्यापार के अंश में अंतर्फर्म व्यापार अंश पर अधिकता का एक बड़ा उदाहरण है। संभवतः देश के मध्य भाग में स्थित यह प्रांत संभरण तंत्र के लिए बहुत उपयुक्त रहा है।

11.22 इस प्रकार के व्यापारों के अंश में भिन्नता का

¹² यहां के प्रतिदर्श में राज्यों के युग्म रेखाचित्र 4 के युग्मों से भिन्न हैं। इसीलिए यहां सापेक्ष अनुक्रम भी भिन्न है। यहां अंतर्फर्म व्यापार से तुलना करने के लिए 15 ग 15 राज्य युग्मों की जानकारी प्रयोग हो रहा है। ये वही राज्य हैं जहां F-फॉर्म वाले आंकड़े उपलब्ध है।

एक कारण यह भी हो सकता है कि इन दो प्रकार के प्रवाहों में सम्मिलित वस्तुओं में भी भारी अंतर

रेखाचित्र 8 : GSDP के प्रतिशत के रूप में अन्तःफर्म और अन्तःफर्म व्यापार



हो। बर्नार्ड आदि (2007) ने इस प्रकार के वस्तुओं के अन्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में विचार किया है। हमारी तालिका 4 में वित्त वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अन्तः और अन्तःफर्म व्यापार में मूल्यानुसार शीर्षस्थ 15-15 वस्तुओं की जानकारी दी गई है (इन दो राज्यों में वस्तु स्तरीय जानकारी अच्छे स्तर की है)। इनमें से केवल 5 वस्तुएं (हरे रंग द्वारा दिखाई गई) ही दोनों सूचियों में साझी हैं। अतः विभिन्न राज्यों में अन्तःफर्म प्रवाह में राज्य में उत्पादित वस्तुओं के प्रकार, उनकी F-फॉर्म के माध्यम से अन्तरण के लिए उपयुक्तता तथा सब्सिडियरी फर्म स्थापित कर पाने में अचल लागते मिलकर निर्णायक

बॉक्स 1 : भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : आंकड़ों को तैयार करना और इस कार्य में चुनौतियां

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मूल्य और व्यापार शेष के अनुमान TINXSYS की जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह TINXSYS वस्तु एवं सेवा कर तंत्र (GSTN) द्वारा रचित और प्रशासित है। TINXSY में दो राज्यों के बीच व्यापार पर CST के बीजकों की जानकारी होती है। ये आंकड़ों का भंडार विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने स्तर पर विभिन्न CST फॉर्मों की जानकारी दर्ज किए जाने पर आधारित रहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी राज्य द्वारा दर्ज कराए गए व्यापार मूल्य उस राज्य में आयात की गई वस्तुओं के मूल्य होते हैं। आयातक राज्य ही CST फॉर्म जारी करता है। आदर्श रूप से प्रत्येक CST फॉर्म पर निर्यातक और आयातक फॉर्मों की क्र-अभिज्ञान संख्याएं (TIN) होनी चाहिए, साथ ही बीजक संख्या, उसका मूल्य, CST फॉर्म जारी करने की तिथि, फॉर्मों की प्रकृति (स्वरूप), वस्तु के लिए कूट संख्या, ओर उस वाणिज्य कर कार्यालय की कूट संख्या भी होनी चाहिए, जहां वे फॉर्म पंजीकृत हैं। किन्तु प्रायः सारी जानकारी इस प्रारूप के अनुसार नहीं दर्ज कराई जाती। यहां तक कि आंकड़ों के एक निर्णायक अंग, निर्यातक राज्य का नाम या कूट या फिर निर्यातक फॉर्म का TIN भी कम से कम 5 प्रतिशत फॉर्मों पर अंकित नहीं होता। यह जानकारी को सटीक रूप से दर्ज नहीं करने की त्रुटियां राज्यानुसार भिन्न-भिन्न पाई गई हैं। हां, गुजरात (10 प्रतिशत) में ये अधिकतम हैं।

हम जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वरूप को ठीक से समझने के लिए किसी भी व्यापार प्रवाह के उद्गम और लक्ष्य की जानकारी आवश्यक होती है। अतः हम, जहां जानकारी नहीं होती, वहां कई तकनीकों अपना कर निर्यातक राज्य का नाम आंकलित करने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आंकड़े दर्ज करते समय TIN संख्याओं में असावधानीवश भरे गए अंकों विशेष कूट चिन्हों को दूर करते हैं। इस प्रकार से त्रुटिहीन की गई 11-इकाइयों वाली TIN संख्याएं निर्यातक राज्य की सही पहचान करा देती हैं। TIN की पहली दो इकाइयां राज्य की जनगणना कूट ही होती हैं।

अन्य प्रकार की जानकारीगत त्रुटियों के निवारण के लिए हम विशेष क्रमांक और श्रृंखला क्रमांकों की GSTN की वेबसाइट पर खोज करते हैं कि क्या राज्यों ने स्वयं निर्यातक फॉर्मों के पते दर्ज करे हैं। उन पतों को लेकर एक अपूर्वनिर्धारित वर्णक्रम को विभिन्न जनपदों/ उपजनपदों तथा नगरों के जनगणना विभाग द्वारा नियम नामों से मिलान करके देखते हैं। जहां यह मिलान हो जाता है, वहां जनगणना से हमें संबद्ध राज्यों के नाम पता चल जाते हैं।

तीसरे दौर में भी विलुप्त दिख रही प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए API के भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) का प्रयोग कर जहां तक संभव हो सके फॉर्मों के स्थान को जानने का प्रयास किया जाता है। इन स्थानों को फिर QGIS अर्थात् GIS सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए राज्यों के आकार वाले मानचित्र पर अंकित कर निर्यातक राज्यों के नाम निर्धारित किए जाते हैं। अन्तिम दौर में बहिष्प्रायी प्रविष्टियों को निकाल देने के लिए राज्य की GSDP के एक प्रतिशत की कसौटी का प्रयोग किया जाता है अर्थात् इस से बड़े आकार की सभी प्रविष्टियों को आंकड़ों की तालिका से निकाल दिया जाता है। यह युक्तियां आंकड़ों की सभी त्रुटियों को तो दूर नहीं कर सकती, पूर्णतः त्रुटिमुक्त आंकड़े पाने के लिए तो प्रत्येक बड़े आकार के लेनदेन की पूर्ण समीक्षा करनी पड़ेगी। समय बचाने के लिए ऐसा नहीं किया गया है। फिर भी इस प्रयास में राज्यों द्वारा बताए गए CST के 85 प्रतिशत अंश वाले लेनदेन अवश्य शामिल हैं। यह 85 प्रतिशत का आंकड़ा उनके अपने प्रशासनिक सूत्रों द्वारा वास्तविक व्यापार के आंकलित आंकड़ों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

भूमिका निभाती हैं।

V. क्या भारतीय अन्तर्राज्यीय व्यापार असमान्य है? एक गुरुत्वाकर्षण प्रतिमान से प्राप्त औपचारिक प्रमाण

11.23 अभी तक स्पष्ट हो रही जानकारी तो यही बता रही है कि जैसा लोग मानते रहे हैं, उसके विपरीत, भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत कम नहीं है। किन्तु उस व्यापार पर अंतर या फासलों की लागत क्या रहती है? आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण व्यापार के गुरुत्वाकर्षण प्रतिमानों को श्रेष्ठतम संबंध निरूपक और सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध करते हैं। इन प्रतिमानों में व्यापार की लागतों का अनुमान और उनके व्यापार प्रवाहों पर प्रभावों की समीक्षा के लिए सैद्धांतिक दृष्टि से कुशल तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।¹³ मूल अंतर्ज्ञान हैं : 'जो दो अधिकार क्षेत्र जितने समृद्ध होंगे, जितने निकटतर होंगे, और नीतिगत बाधाओं से जितने मुक्त होंगे, उनमें उतना ही अधिक परस्पर व्यापार होगा'।

11.24 ये सभी पूर्वकलित धारणाएं भारतीय आंकड़ों से पुष्ट होती हैं। तालिका 2 दिखा रही है कि देश के धनिक

राज्य परस्पर अधिक व्यापार करते हैं, निकस्थ स्थिति वाले राज्यों के बीच अधिक व्यापार होता है, निकटस्थता के साथ-साथ व्यापारिक सहभागियों के बीच फासले या अंतर भी व्यापार को प्रभावित करते हैं। आप की रुचि हो तो आप परिशिष्ट तालिका 5 में विभिन्न गुणकों की व्याख्या और उनकी प्रबलता की समीक्षा देख सकते हैं।

11.25 तालिका 2 का प्रथम प्रतिमान गुरुत्वाकर्षण निरूपण कर रहा है : अन्तर्फल व्यापार के लघुगणकों का राज्यों की आर्थिक राजधानी से अंतर, एक हिन्दी भाषी व्यापारिक भागीदारों के लिए कल्पित अंक और निर्यातक एवं आयातक राज्यों की जीडीपी पर प्रतीपगमन आंकलित किया गया है। प्रतिमान 2 समय गैर संवेदी राज्य स्तरीय अनावलोकनीय विशेषताओं, जो उनकी GSDP को भी प्रभावित करते हैं, के लिए स्थिर प्रभावों का प्रयोग करता है। प्रतिमान-4 में इसी स्थिर प्रभाव का अन्तःफल व्यापार के लघुगणक पर प्रतीपगमन किया गया है। प्रतिमान 3 में अन्तर्फल प्रवाहों को निर्भर चर माना गया है किन्तु उन्हीं राज्यों की जानकारी का प्रयोग किया गया है जिनके अन्तःफल प्रवाह भी ज्ञात हैं। प्रतिमान 5 और 6 में अमेरिकी आंकड़ों पर गुरुत्वाकर्षण प्रतिमान

तालिका 2 : गुरुत्वाकर्षण प्रतिमान के प्रतीपगमन गुणक

निर्भर चर : आयात मूल्य का लघुगणक	भारत				संयुक्त राज्य	
	(1)	अंतर्फल (2)	(3)	अंतःफल (4)	कृषि को छोड़कर (5) (6)	
Log (फासला): केन्द्र	-0.928*** (0.169)	-0.565*** (0.0952)	-0.539*** (0.116)	-0.810*** (0.1674)	-0.965*** (0.024)	-0.938*** (0.068)
साथ लगे राज्य का तदर्थ चर	0.349* (0.193)	0.638*** (0.117)	0.704*** (0.123)	0.495** (0.1999)	0.994*** (0.072)	0.937*** (0.097)
हिन्दी का तदर्थ चर	-0.391** (0.187)	-0.0225 (0.133)	-0.037 (0.16)	0.406* (0.2330)		
Log (आयातक GSDP)	0.816*** (0.0934)				1.101*** (0.017)	
Log (निर्यातक GSD)	0.958*** (0.0568)				0.928*** (0.017)	
आयातक राज्य FE	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes
निर्यातक राज्य FE	No	Yes	Yes	Yes	No	Yes
R-squared	0.522	0.903	0.91	0.83	0.83	0.9
अवलोकन	380	380	210	210	2450	2450

कोष्ठक में मानक त्रुटियां हैं।

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

¹³ गुरुत्वाकर्षण की रूप रेखाएं आर्थिक समीक्षा, 2015-16 के सांख्यिकीय परिशिष्ट में दी गई हैं।

का अनुमान लगाया गया है और उसके गुणकों के साथ भारत की तुलना की गई है।¹⁴ प्रतिमान 2, 4, 6 को हम अन्तःफर्म व्यापार, अन्तःफर्म व्यापार और संयुक्त राज्य अमेरीका में आन्तरिक व्यापार के लिए बेहतर मान रहे हैं।

- **अन्तर :** सबसे विलक्षण निष्कर्ष यह है कि भारत की व्यापार प्रवाह की अन्तर के प्रति लोचशीलता अपेक्षित से बहुत कम है। आर्थिक राजधानियों के बीच अंतर में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि से व्यापार में केवल 5.65 प्रतिशत की गिरावट आती है।¹⁵ जरा भारत से कहीं बेहतर परिवहन संरचना वाले संयुक्त राज्य अमेरीका से तुलना करें : वहां तो अंतर में 10 प्रतिशत की वृद्धि से व्यापार प्रवाह में 9.3 प्रतिशत की कमी हो जाती है। भाग VI में भारत की इस अंतर लोचशीलता के संयुक्त राज्य अमेरीका से कम होने की एक संभावित व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।
- **राज्य जीडीपी के गुणक :** व्यापार के प्रवाह की आय के स्तर से लोच धनात्मक है। आयातक या निर्यातक की जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि से व्यापार प्रवाह में 8.2 और 9.6 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि होती है। अमेरीका में आय में 10 प्रतिशत वृद्धि के फलस्वरूप यह आय लोच क्रमशः 11 और 9 प्रतिशत आंकी गई हैं।
- **निकटस्थता गुणक :** भारत में परस्पर साथ लगते राज्यों के बीच व्यापार दूरवर्ती राज्यों की अपेक्षा 90 प्रतिशत¹⁶ अधिक होता है।¹⁷ यह प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरीका की तुलना में कमजोर है, वहां अंतर्राज्यीय व्यापार में निकटस्थ राज्यों के बीच व्यापार की प्रबलता आंकलित हो रही है।
- **भाषा (हिन्दी) गुणक :** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साहित्य में भाषा के तदर्श चर का मान सदैव धनात्मक और

महत्वपूर्ण पाया गया है। इसका अर्थ है कि एक ही भाषा में काम करने वाले देशों के व्यापारी परस्पर अधिक व्यापार करते हैं (अन्य भाषा-भाषियों की तुलना में)। सुब्रहमण्यम और वेई (2007) का आंकलन है की स्व-भाषाई देशों के बीच व्यापार अन्य भाषाओं की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक होता है। वहीं रोज (2003) का निष्कर्ष था कि एक ही भाषा का प्रयोग करने वाले के बीच व्यापार 30 प्रतिशत अधिक होता है। किन्तु हैरानी की बात है कि भारत में इस धारणा की पुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल रहे। अन्तःराज्यीय अन्तःफर्म व्यापार में हिन्दी का गुणक 'महत्वहीन' है तथा अन्तःफर्म व्यापार के लिए यह धनात्मक किन्तु अपेक्षाकृत कमजोर रूप से महत्वपूर्ण आंकलित हुआ है।¹⁸

VI. पहली की व्याख्या : भारत इतना अधिक व्यापार क्यों करता है?

11.26 इन प्रतिमानों के परिणामों की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है :

11.27 पूर्वधारणाओं के विपरीत भारत में तो व्यापार के पक्ष में रूझान लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है? एक संभव कारण तो आन्तरिक कर संरचना है, क्षेत्र आधारित कर छूटों के प्रावधान भी अधिक आन्तरिक व्यापार के पक्ष में वातावरण का निर्माण करते हैं।

क्षेत्र आधारित कर छूट

11.28 हमारे प्रयुक्त आंकड़े वस्तुतः कर अनुपालन के लिए घोषित किए गए आंकड़े हैं। अतः यह कर छूट का विषय बहुत सटीक हो जाता है।

11.29 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कुछ राज्यों में उत्पादन को कर मुक्त छोड़ देता है। ये राज्य हैं : सभी उत्तरपूर्वी राज्य, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश

¹⁴ हमने उत्पादों की तुलना भारतीय डेटा सेट से करने के लिए अमेरिका डेटा से कृषि प्रवाहों को अलग कर दिया है।

¹⁵ अन्तःफर्म व्यापार के संदर्भ में दो राज्यों के बीच अंतर में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर यह व्यापार 8.1 प्रतिशत कम हो जाता है। यह अनुमान अन्तःफर्म प्रवाह की अन्तर के अनुसार लोच से अधिक है, जबकि हमने दोनों के लिए एक ही प्रतिदर्श का प्रयोग किया है (प्रतिमान-3)। परिशिष्ट इसकी संभाव्यता की समीक्षा कर रहा है।

¹⁶ $\text{Exp}(0.638) - 1 = k$ 0k892

¹⁷ अन्तःफर्म के बारे में भी निकटस्थ राज्यों के बीच व्यापार दूरस्थ की अपेक्षा 63 प्रतिशत अधिक रहता है।

¹⁸ अन्तःफर्म व्यापार के लिए यह गुणक 90 प्रतिशत आश्वस्त स्तर पर महत्वपूर्ण है। प्रतीत होता है, सांझी भाषा वाले राज्यों में फर्म के लिए अपनी सब्सिडियरी की स्थापना करना आसान रहता है। वे राज्य की कानूनी आवश्यकताएं पूरी कर पाना सुगम मानती हैं। किन्तु अन्य फर्मों से व्यापार के मामले में यह भाषा निर्भरता सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वहीन रह जाती है।

और गुजरात का कच्छ क्षेत्र।¹⁹ यह छूट वास्तविक या घोषित उत्पादन को इन क्षेत्रों में दिखाने को प्रौत्साहित करती है। यह प्रौत्साहन तुलनात्मक लाभ, व्यापार की लागतों और व्यापार तथा फर्म की अवस्थिति के अन्य सभी निर्धारकों से अतिरिक्त और प्रबल हो सकता है।

सीएसटी और वीएटी

11.30 वर्तमान कर प्रणाली में राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्रों में बिक रही अधिकांश वस्तुओं पर मूल्यवृद्धि कर (वैट-VAT) लगाती हैं और केन्द्र द्वारा उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। यह वैट-योग्य-सम कर होता है। किसी दूसरे राज्य में बिक्री पर उत्पादनकर्ता राज्य में वैट देय नहीं होता। इस बिक्री पर तो गैर-वैट-योग्य केन्द्रीय बिक्री कर CST (सीएसटी) लगाया जाता है। यह सीएसटी अन्तर्राज्यीय व्यापार पर एक हतोत्साहक कर बनने के स्थान पर कई मामलों में राज्यों में आन्तरिक विक्रय पर अधिक उच्च दर से लगने वाले वैट से बचाव रूपी लाभ कमाने का माध्यम बन सकता है।

11.31 सीएसटी के सीमाशुल्क स्वरूप धारणा करने का निर्णायक निर्धारक यह है कि क्या क्रेता इस आदान पर कर श्रेय (ITC) प्राप्त कर सकता है, विशेषकर जब यह खरीदारी राज्य के भीतर ही की गई हो।²⁰ आदान कर श्रेय वैट व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता है। इसके अभाव में तो आप केवल मूल्यवृद्धि नहीं समस्त विक्रय मूल्य पर कर चुकाने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसी दशा में क्रेता किसी अन्य राज्य से खरीदारी करते हुए उच्च वैट दर चुकाने के स्थान पर मात्र 2 प्रतिशत सीएसटी

भरना बेहतर समझेगा। यह बात उस समय मुख्य स्वरूप धारण कर लेती है, जब क्रेता फर्म या तो उक्त वस्तुओं की अन्तिम उपभोक्ता हो या फिर वह कर मुक्त वस्तुओं का उत्पादन कर रही हो।²¹ ये कोई कभी-कभी होने वाली घटना नहीं है। पेट्रोल, डीजल, निर्माण सामग्री और कई प्रकार की मशीनरी जैसे बहुत अधिक सकल मूल्य परिमाण की चीजें इसी वर्ग में सम्मिलित हैं। साथ ही राज्यों ने एक “नकारात्मक सूची” भी बनायी होती है, जिसमें वस्तुओं पर आदान कर श्रेय उन राज्यों में नहीं दिया जाता। इस “नकारात्मक सूची” में आंध्र प्रदेश में आयातित में से कम से कम 22 प्रतिशत वस्तुएं सम्मिलित हैं।²² इनमें से भी केवल वाहन और वाहनों के कलपुर्जों का आंध्र के आयात मूल्य में 16 प्रतिशत अंश बन जाता है। इसी प्रकार ITC के लिए अमान्य चीजें ओडिशा के आयात का 30 प्रतिशत अंश अवश्य है।²³

11.32 अन्य सभी वस्तुओं पर राज्य से बाहर से खरीदारी करने का अर्थ ITC गंवाना होगा। इससे लागतें अधिक हो जाएंगी और उत्पादन करना लाभप्रद नहीं रहेगा। अतः यद्यपि हमें कोई विपरीत तथ्य उपलब्ध नहीं है और हम यह नहीं कह सकते कि किस सीमा तक, किन्तु कर प्रावधानों की ये विसंगतियां अन्तर्राज्यीय व्यापार को पनपने से रोकती अवश्य है। फिर भी भारत में फासलों के प्रति निम्न लोचशीलता (होने के बावजूद) और भारत के व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तुल्य ही रहने से एक संकेत अवश्य मिल रहा है : भारत का व्यापार के पक्ष में रूझान व्यापार पर “दुष्प्रेरणाओं” पर भारी पड़ता है।

11.33 यदि ऐसा है तो इन विकृतियों का निवारण करते

¹⁹ उत्पादन शुल्क भी उत्पादन की स्थिति में लगा मूल्य वृद्धि कर है। यह फैक्टरी के दरवाजे से माल बाहर निकालते समय घोषित मूल्य वृद्धि पर लगता है।

²⁰ इन संभव मामलों की विस्तृत समीक्षा परिशिष्ट में है।

²¹ इनका विवरण भी परिशिष्ट में देखें।

²² APVAT अधिनियम का नियम 20(2)। यह ITC हेतु अमान्य वस्तुओं का संभलकर लगाया गया अनुमान है। उदाहरण के लिए भवनों के निर्माण और रखरखाव की सामग्री ITC के लिए अमान्य है। लोहा और इस्पात यहां सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु किसी ठेके का काम करने पर प्रयोग किए गए लोहे और इस्पात पर ITC उपलब्ध है। कई बीजकों में वस्तु की पहचान के कूट नहीं होते। अतः आशंका है कि यह संख्या हमारे अनुमान से भी अधिक रहे। और अंत में, कर मुक्त वस्तुओं के उत्पादन में लगे आदान पर भी ITC अमान्य रहता है। किन्तु इन्हें भी इस 22 प्रतिशत में नहीं गिना गया है। यह तय नहीं हो पाता कि इनका कितना अंश कर मुक्त उत्पादन में काम आ रहा है।

²³ <https://odishatax.gov.in/Schedules/VAT/VAT-SCHEDULE-D-20-01-2016.pdf>,

<https://odishatax.gov.in/Schedules/VAT/VAT-SCHEDULE-C-20-01-2016.pdf>

हुए GST को लागू करने पर आन्तरिक व्यापार में एक 'सामान्यता' का संचार हो जाएगा।

VII. निष्कर्ष

11.34 कल्पित धारणाओं के विपरीत भारत में वस्तुओं का आन्तरिक व्यापार आश्चर्यजनक रूप से सुदृढ़ है। हम चाहे भारत के विदेशी व्यापार से तुलना करें या अन्य देशों के आन्तरिक व्यापार से या फिर गुरुत्वाकर्षण आधारित अमेरिकी व्यापार प्रतिमानों से, सभी दशाओं में हमारा उपर्युक्त निष्कर्ष सत्य सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए भारत में फसलों के व्यापार पर प्रभाव कमजोर रहते हैं। प्रसन्नता का विषय तो यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित भाषाई विविधता भी व्यापार में कोई बड़ी बाधा सिद्ध नहीं होती।

11.35 राज्यों के आन्तरिक व्यापार के स्वरूपों में बहुत

बड़े अन्तर है। छोटे राज्य प्रायः अधिक व्यापार करते हैं तो तमिलनाडू, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े विनिर्माता राज्यों के व्यापार शेष में आधिक्य रहता है (इनके निर्यातों के मूल्य आयात मूल्यों से अधिक रहते हैं)। हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपने कृषिक स्वरूप को झुठलाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सन्निकटता के कारण विनिर्माण शक्ति केन्द्रों के रूप में उभर कर आ रहे हैं।

11.36 यह विश्लेषण इस संभावना का द्वार खुला छोड़ रहा है कि भारत में आन्तरिक व्यापार के अंश का आधार कर विकृतियों पर टिका हुआ हो। वह भी जीएसटी लागू होने पर सामान्यीकृत हो जाएंगे। 'एक बाजार और समन्वित कर नीतियाँ' किन्तु साथ ही कम आन्तरिक व्यापार की दुराशंका एक आश्चर्यजनक संभावना का निर्माण कर रहे हैं। देखते हैं, आगे क्या होता है!

भाग 2: एक भारत : कानून के समक्ष

I. विषय प्रवेश

11.37 वस्तु एवं सेवाकर का 'एक कर, एक बाजार, एक भारत' की रचना की ओर कदम के रूप में प्रचार उचित ही था। किन्तु यह विचार करना भी आवश्यक है कि भारत अभी उस आदर्श से कितना दूर है। अनेक प्रांतों ने वस्तुओं पर तरह-तरह के कर-उपकर थोपे हुए हैं, जैसे कि चुंगीकर, प्रवेश शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर आदि, जो सब मिलकर वस्तुओं के प्रवाहों को बाधित करते हैं। सबसे विद्रूप तो अन्य प्रांतों से आ रही सेवाओं पर कर है। जिसका उदाहरण है अंतर्राज्यीय विद्युत कर, यह विद्युत उत्पादन की लागत को बढ़ाता है, बाजार को विखंडित करता है और राज्यों में आन्तरिक स्तर पर विद्युत को अनेक प्रकार से कुछ उपभोक्ताओं से अधिक दाम वसूलकर अन्य को सब्सिडी देने का उपक्रम चलाए रखता है। कृषि उत्पाद विपणन समितियां अभी भी बनी हुई हैं और कृषि उत्पादों के विभिन्न राज्यों के बीच क्रय-विक्रय में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। परिणाम स्वरूप जिन किसानों के हितों की रक्षा का दावा किया जाता है, उन्हीं को अच्छी आय से वंचित कर ये भारत में कृषि उत्पादिता को घटा ही रही हैं। कृषि एवं वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के पटल पर चल रही ये व्यवस्थाएं "आर्थिक दृष्टि से एक भारत" के विचार का मखौल उड़ाती प्रतीत होती हैं।

11.38 एक सांझे भारतीय बाजार की रचना में सहायक संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विचार करना आवश्यक है। संविधान पर सभी चर्चाएं प्रायः आन्तरिक पटल पर केन्द्रित होकर रह जाती हैं, किन्तु यहां हमें अन्य देशों से तुलना पर विशेष ध्यान देना है। बड़ी संघीय व्यवस्थाओं और अनेक राष्ट्रों तक विस्तृत तंत्रों में सार्वजनिक नीतियों के संकल्पनागत उद्देश्यों में एक सांझापन होता है : ये सभी एक बड़े बाजार की रचना के विचार से प्रेरित होते हैं ताकि सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं को समान व्यवहार मिल सके तथा संघीय इकाइयों की सार्वभौमिकता का भी अतिक्रमण नहीं हो। यहां तीन प्रकार की व्यवस्थाएं सहज ही तुलनीय प्रतीत होती हैं : अन्य संघीय देश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका; यूरोपीय संघ जैसी संघीय इकाइयां; और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाएं जैसे

कि विश्व व्यापार संगठन (WTO)।

II. भारतीय संवैधानिक प्रावधान और न्यायशास्त्र

11.39 तुलना के लिए उन संवैधानिक प्रावधानों को समझना आवश्यक है जो सांझे बाजार के निर्माण की प्राप्ति में सहायक होते हैं और उसकी रचना की सीमाएं भी निर्धारित कर जाते हैं। धाराएं 301-304 में अधिकारों और दायित्वों की अनेक परतें विद्यमान हैं। धारा 301 में तो इस मूलभूत सिद्धांत की स्थापना की गई है कि भारत एक सांझा बाजार बनना चाहिए :

301. **व्यापार, वाणिज्य और संसर्ग की स्वतंत्रता :** इस भाग के अन्य प्रावधानों की सीमाओं में रहते हुए सारे भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संसर्ग स्वतंत्र (निर्बन्ध) रहेंगे।

धारा 302-304 : इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इस पर सीमाएं भी लागू करती हैं।

धारा 302 लोकहित के आधार पर विभिन्न प्रांतों के बीच स्वतंत्र व्यापार पर प्रतिबंध/नियमन लागू करने की शक्तियां संसद को प्रदान करती है।

302. **संसद की व्यापार-वाणिज्य और संसर्ग पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां।** संसद कानून बना कर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अथवा देश के किसी भाग में व्यापार वाणिज्य और संसर्ग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या रूकावटें लगा सकती है जो लोकहित में आवश्यक हों।

धारा 303(a) फिर संसद और राज्य विधान मंडलों पर 'सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश' जैसा व्यवहार करने का एक दायित्व भी लागू करती हैं : कि ऐसा कोई कानून या नियम नहीं बनाया जाएगा जो एक राज्य को दूसरे से बेहतर व्यवहार प्रदान करता हो।

303. **व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का नियमन**

धारा 302 में सातवी अनुसूची की किसी भी सूची में व्यापार और वाणिज्य विषयक किसी भी प्रविष्टि के आधार पर की गई किसी भी व्यवस्था के बावजूद न संसद और न ही किसी राज्य की विधायिका को ऐसे

कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी जो किसी एक राज्य को दूसरे पर वरीयता प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता हो, या एक राज्य तथा दूसरे के बीच भेदभाव करने का अधिकार प्रदान करता हो।

फिर धारा 304 (संसद पर नहीं) राज्य विधान मंडलों पर एक राष्ट्र रूपी दायित्व लगाती है; किसी अन्य राज्य में उत्पादित वस्तुओं पर ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो अपने राज्य क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता। यह धारा मुख्यतः करों के बारे में बात कर रही है। यह अन्य नियमों के विषय में नहीं है।

304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संसर्ग पर प्रतिबंध

धारा 301 या धारा 303 के किसी भी प्रावधान के बावजूद एक राज्य का विधान मंडल कानून द्वारा (कर सकता है) :

- किसी अन्य राज्य से आयातित वस्तुओं पर ऐसे कर लगा सकता है जो उस राज्य में (अपने क्षेत्र में) उत्पादित उसी प्रकार की वस्तुओं पर लागू हों, किन्तु यह कर आयातित और विनिर्मित/उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभावपूर्ण नहीं हो; और किन्तु धारा 304 लोकहित में व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगाने के अधिकार राज्य विधान मंडलों को प्रदान करती है।
- प्रांत में या प्रांतों के बीच व्यापार वाणिज्य या संसर्ग पर ऐसे उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं जो जनहित में आवश्यक हों। किन्तु ऐसा कोई विधेयक या संशोधन किसी राज्य के विधान मंडल में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाएगा।

11.40 ध्यान देने योग्य है कि धारा 304(b) में राज्यों को दी गई यह स्वतंत्रता संसद को धारा 302 में दी गई स्वतंत्रता से इस रूप में भिन्न है कि जहां संसद प्रतिबंध/लगा सकती है वहां राज्य विधान मंडल केवल उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही राज्य उन्हीं विषयों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जो राज्य सूची में हों या फिर

समवर्ती सूची में।

11.41 इन सभी प्रावधानों का सार यही है कि केन्द्र और राज्यों को व्यापार और वाणिज्य पर अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगाने की बहुत स्वतंत्रता मिली हुई है। यह “एक भारत” का निर्माण करने में बाधक है

11.42 यही नहीं न्यायशास्त्र एवं व्यवस्था तो (केन्द्र और राज्यों को) और अधिक स्वच्छन्दता देने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। स्पष्टतः भाग XIII का उद्देश्य तो पूरे भारत वर्ष में निर्बन्ध व्यापार सुनिश्चित करना था, किन्तु व्यवहारिक स्तर पर इसकी व्यवस्थाओं का अनुपालन देश को उस उद्देश्य से बहुत दूर ले गया है। राज्यों द्वारा लगाए गए वित्तीय बंधन एक स्वतंत्र बाजार की रचना में मुख्य बाधक बन गए हैं। मोटर वाहनों पर कर, प्रदेश या किन्हीं क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर, किसी राज्य से बाहर उत्पादित वस्तुओं पर (अधिक) बिक्री कर तो कभी से चल रहे हैं। यही नहीं ऐसे ही अनेक कर भार लगते हैं और न्यायपालिका (सर्वोच्च स्तर पर) उन्हें वैध ठहराती आ रही है। उदाहरण के लिए श्री महावीर ऑयल मिल्स बनाम जम्मू एवं कश्मीर सरकार²⁴ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस विज्ञप्ति को सिद्धांत रूप से वैध ठहराया है जो जम्मू एवं कश्मीर सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी की गई थी। उसमें खाद्य तेलों के स्थानीय उत्पादकों के व्यवसाय बंद होने से बचाने के लिए उन्हें विक्रय कर से मुक्त रखा गया है। जबकि साथ ही साथ उस विज्ञप्ति ने अन्य राज्यों के खाद्य तेल उत्पादकों पर विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत भी कर दी है। चुनौति दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस विज्ञप्ति को रद्द करने से इस इस आधार पर इंकार कर दिया कि यह तो राज्य में खाद्य तेल उद्योग की रक्षा के लिए आवश्यक है और यह संविधान के भाग XIII की व्यवस्थाओं के अनुरूप एक पर्याप्त उपाय है।²⁵ अनेक अन्य मामलों में जहां प्रवेश शुल्कों को चुनौति दी गई है वहां भी सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त करों का स्वरूप प्रतिकारात्मक बता कर उन्हें रद्द करने से मना किया है।

²⁴ (1996) 11 SCC 39.

²⁵ इस ‘प्रतिकारात्मक कर सिद्धांत’ का प्रतिपादन न्यायमूर्ति एस के दास ने ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट (राजस्थान) लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार, AIR 1962 SC 1406 में किया था। उन्होंने कहा था कि नियमन उपाय या प्रतिकारात्मक कर, व्यापारिक, सुविधाएं बढ़ाएं जाने के उद्देश्य से लगाए जाने पर धारा 301 में चर्चित बाधाओं के दायरे में नहीं आएं और ऐसे उपायों के लिए धारा 304(b) का अनुपालन आवश्यक नहीं होगा (अनुच्छेद 7)।

इसका अर्थ है कि इन कर राशियों का प्रयोग इन्हें लागू करने वाले राज्यों में व्यापार संवर्धन में हो रहा है।²⁶

11.43 यह पूरी तरह अन अपेक्षित भी नहीं था। राज्य के राजस्व का बचाव करते हुए निर्बन्ध व्यापार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में ऐसा लेनदेन (सम प्रत्ययन) आवश्यक हो जाता है। सत्तर वर्षों का अनुभव यही बताता है कि इस 'सम प्रत्ययन' या संतुलन बिटाने की कोशिश में एक सांझा बाजार स्थापित करने का विचार पंगु हो कर रह गया है। वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने "प्रतिकारक कर" का सिद्धांत तो निरस्त कर दिया है किन्तु प्रवेश कर लगाने के राज्यों के अधिकार को वैध ठहराया है।²⁷ यह कहा गया है कि न्यायालय का उक्त विचार पूरी तरह से भाग XIII की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है, जो संपूर्ण रूप से पढ़े जाने पर आर्थिक एकीकरण करते समय राज्यों को अपने उत्पादों को अन्य से विलक्षण निरूपित करने की पर्याप्त छूट देता है।

III. अन्य देशों में वैधानिक प्रावधान

11.44 अन्य अधिकार क्षेत्रों (देशों) से भारतीय परिवेश की तुलना कैसी लगेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान एक बड़ा सशक्त अंतर्राज्य व्यापार विषयक प्रावधान है। धारा-1 भाग 8, प्रनियम 3 ने कांग्रेस को दूसरे देशों और विभिन्न राज्यों तथा इंडियन जन-जातियों से वाणिज्य को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की हैं।

11.45 जेम्स मैडीसन ने अपने संघवादी दस्तावेजों में इस प्रावधान के तर्क की बहुत अच्छी व्याख्या की है। उसने लिखा है, 'इस शक्ति का एक महत्वपूर्ण ध्येय उन राज्यों, को जो अन्य राज्यों के क्षेत्रों से होकर अपने आयात और निर्यात करते हैं, इस रास्ते में पड़ने वाले राज्यों द्वारा मनमाने कर आदि की वसूली से राहत प्रदान करना था।

यदि ये राज्य (रास्ते में पड़ने वाले) ही अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करने को अधिकृत होते तो इन्होंने अपने क्षेत्र से आ जा रहे सामान पर ऐसे कर लाद दिए होते जिनका भार उन वस्तुओं के उपभोक्ता और उत्पादक वर्ग पर ही पड़ता। पिछले अनुभव हमें आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कार्य करने के प्रयास भविष्य में अवश्य हो सकते हैं और फिर मानवीय स्वभाव के विषय में यह भी जानी मानी बात है कि इसके कारण निरंतर वैर भाव ही पनपेगा और संभव है कि उससे लोक शांति के भंग होने की गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो जाएं।²⁸

11.46 इसका पाठ संविधान के दसवें संशोधन के साथ मिलाकर होना चाहिए। उस संशोधन में व्यवस्था की गई थी "जो शक्तियां संयुक्त राज्य को संविधान ने प्रदान नहीं की हैं या राज्यों के संघ के लिए वर्जित नहीं की हैं, वे सभी राज्य के ही अधिकार क्षेत्र का अंग हैं या जन सामान्य के पास हैं।"

11.47 इन दोनों प्रावधानों के एक साथ पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस संविधान में भी, जहां शेष शक्तियां राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हों (भारत में तो शेष शक्तियां संघ या केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में हैं), वहां भी राज्यों को अंतर्राज्यीय व्यापार-वाणिज्य का नियमन करने से वर्जित किया गया है। यही मान्यता थी कि यदि राज्यों को ये अधिकार दिए गए तो उससे व्यापार की निर्बधता और वस्तुओं का आवागमन दुष्प्रभावित होगा।

11.48 संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने वाणिज्य प्रनियम की उदार व्याख्या करते हुए ध्यान रखा है कि कांग्रेस की अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्तियां कृत्रिम नहीं हो और कतिपय राज्य संरक्षणवादी कानून बनाने में नहीं जुट जाएं।²⁹ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री महावीर ऑयल मिल्स मामले के एकदम विपरीत

²⁶ देखें मीनाक्षी बनाम कर्नाटक सरकार, 1984 SYPP SSC 326 यहां सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम 1979 के अंतर्गत बड़ी बसों, मिनि बसों और स्थान-स्थान से सवारी उठाने वाले वाहनों पर अधिक दर से कर लगाना उचित ठहराते हुए कहा था, 'कि इन करों का राजस्व सड़कों के निर्माण, रख-रखाव और वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने की सुविधाएं तैयार करने पर होगा।' किन्तु प्रतिकारक कराधान का यह न्यायशास्त्र जिन्दल स्टेनलैस स्टील बनाम हरियाणा राज्य, 2016, SSC Online SC, 1260 (जिन्दल स्टेनलैस) मामले में बहुमत निर्णय से निरस्त हो चुका है।

²⁷ देखें सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, जिन्दल स्टेनलैस मामले में, (n.4) पैरा 6।

²⁸ फ़ैड्लिस्ट नं. 42, एलेक्जेंडर हैमिल्टन, जेम्स मैडीसन और जॉन जॉय कृत रचना : द फ़ैड्लिस्ट, (द बेहनैय प्रैस, कैम्ब्रिज, 2009)

²⁹ इस न्यायिक दृष्टिकोण का आधार 'मुख्य प्रभाव' की वह कसौटी थी जिसे राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड बनाम जोन्स एंड लाफ्लिन स्टील कॉर्प, 301, 451 में न्यायालय ने घोषित किया था। यह थी, भले ही कोई काम किसी राज्य तक सीमित हों, किन्तु यदि उसका अंतर्राज्यीय व्यापार से बड़ा नाता या प्रभाव हो तो कांग्रेस अपने वाणिज्य प्रनियम के अधीन कानून बना सकती है।

अमेरीकी सर्वोच्च न्यायालय का वैस्टलिन क्रीमरी इंकार्पोरेटड बनाम हीली प्रकरण में आया फैसला है।³⁰ हीली में मेसाचुसेट्टस कीमत निर्धारण आदेश ने सभी दुग्ध विक्रेताओं को एक समानीकरण कोष में अधिभार जमा करना आवश्यक बनाया था। यद्यपि यह आदेश सभी दुग्ध विक्रेताओं पर लागू था किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वाणिज्य प्रनियम का उल्लंघन माना, क्योंकि इस कोष की धनराशियों का प्रयोग उक्त राज्य की सीमा में कार्य कर रहे दुग्ध उत्पादकों को 'क्षतिपूर्ति' के नाम पर बांटा जाना था। अतः इसे यह कहकर रद्द कर दिया गया कि इसका निर्विवाद प्रभाव उच्च लागत पर उत्पादन कर रहे मैसाचुसेट्टस के डैरी किसानों को अन्य राज्यों के निम्न लागत पर काम करने वाले किसानों से स्पर्धा करने योग्य बनाना था।³¹

11.49 हां कुछ व्यवहारिक बाधाएं भी हैं, विशेषकर सेवा क्षेत्र में। यह राज्य स्तरीय लाईसेंस या प्रत्यायन की व्यवस्था में स्पष्ट हो जाती हैं। फिर, कई निर्णयों में वाणिज्य प्रनियम की अधिक सीमित व्याख्या भी हुई है।³² किन्तु ये एक अमेरीकी बाजार बनाए रखने के व्यापक नियम के अपवाद स्वरूप ही हैं।

11.50 मास्ट्रिष्ट संधि ने यूरोपीय सांझा बाजार की रचना की है। उसके बाद से यह स्वीकार किया जा रहा है कि बहुत ही सीमित संकीर्ण दशाओं के अतिरिक्त यूरोपीय समुदाय वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और व्यक्तियों के आवागमन की चार स्वतंत्रताओं पर कोई बाधा नहीं लगाएंगे। अब यह तर्क दिया जा सकता है कि संयुक्त राज्य और यूरोप संघ भारत से बहुत ही अलग हैं। इनका राष्ट्र के रूप में रहने का इतिहास बहुत लंबा है। कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य अमेरीकी राज्यों की अपेक्षा अधिक विविधताओं से परिपूर्ण हैं। अतः इन्हें कर तथा नियमन की अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके विपरीत यह तर्क हो सकता है कि अमेरीकी राज्य अपनी सार्वभौमिकता को लेकर बहुत ही आशंकित थे और यही उस देश के संविधान में झलक रही है। दूसरे

शब्दों में राज्यों के सशक्त होने के बावजूद वहां एक सशक्त अंतर्राज्यीय व्यापार कानून बन गया है। संभावना तो कम है, किन्तु यह भी तर्क दिया जा सकता है कि भारत के राज्यों को यूरोप के संप्रभुता संपन्न देशों से भी अधिक नियमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

IV. तुल्य विश्व व्यापार संगठन कानून

11.51 किन्तु एक कहीं अधिक क्षीण-से मानक भी हैं जिनके अनुसार भारतीय नियमों का मूल्यांकन होना चाहिए। ये हैं विश्व व्यापार संगठन के नियम। इस संगठन में 164 देश सदस्य हैं। इनके आय के स्तर और इनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी बहुत अंतर हैं। उदाहरण के लिए धनिकतम देशों की प्रतिव्यक्ति जीडीपी गरीबतम देशों से 60 गुना से अधिक है (जबकि भारत में यह अनुपात 5 से भी कम है)। WTO में संयुक्त राज्य तथा यूरोप जैसे लोकतंत्र हैं तो चीन जैसे गैरलोकतांत्रिक देश भी। किन्तु भारत के तो सभी राज्य एक जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं। अतः यह तर्क देना तो विचित्र लगेगा कि भारतीय राज्यों को WTO द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता से भी अधिक मिलनी चाहिए ताकि एक सांझा बाजार विकसित हो सके।

11.52 यदि यह बात उचित हो तो फिर WTO के नियमों और भारत के संविधान के प्रावधानों में तुलना करना अनुपयुक्त नहीं होगा। अर्थात् WTO द्वारा सदस्यों के लिए सांझा बाजार और नियमन की स्वतंत्रता में संतुलन बिठाने की जो व्यवस्था बनाई है उसकी भारतीय संविधान में राज्यों को दी गई स्वतंत्रता से तुलना करना उचित ही होगा।

11.53 तो फिर तुल्य WTO नियम क्या हैं? WTO ने सर्वाधिक वरीयता प्राप्त देश और राष्ट्रीय तुल्य व्यवहार के नियम बनाए हैं। जैसा कि संविधान ने किया है। किन्तु संविधान से अंतर तो इन गैर संरक्षणवादी नियमों से परे हटने की स्वतंत्रता को लेकर है। यही विपरीत भाव तो धारा 302 और 304(b) तथा सीमा शुल्क एवं व्यापार महासंधि (GATT) WTO की धारा XX के बीच है।

³⁰ 512 ने 186,

³¹ 5 वही, 1941

³² एक उदाहरण स्वरूप देखें ज़पकक बनाम Peason, 128 USI. यहां न्यायालय ने कहा है कि अन्तर्राज्यीय शराब उत्पादन का नियमन वैध है, भले ही यह निर्यात के लिए हो रहा हो और यह वाणिज्य प्रनियम का उल्लंघन नहीं है।

धारा XX: सामान्य अपवाद

इस अनिवार्यता का पालन करते हुए कि ऐसे उपाय इस प्रकार लागू नहीं किए जाएंगे कि वे समानप्रायः देशों के बीच मनमाने या अन्यायपूर्ण भेदभाव का कारण बनेंगे या छद्म रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध होंगे, इस संधि में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके किसी भी हस्ताक्षरी पक्ष को ये उपाय लागू करने से रोकता हो जो :

- (a) लोक नैतिकता की रक्षा के लिए आवश्यक हो;
- (b) मानवीय, जीव या वनस्पति जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हो;
- (c) स्वर्ण या चांदी के आयात-निर्यात से संबंधित हो;
- (d) इस संधि के प्रावधान के संगत कानूनों-नियमों को लागू करने के लिए हो, जो सीमाशुल्क लागू करने धारा II के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत एकाधिकार संचालित करने, पेटेंट अधिकारों की रक्षा करने, ट्रेड मार्क और स्वत्वाधिकार लागू करने और धोखे भरे व्यवहार को रोकने के लिए हो;
- (e) बंदियों के श्रम उत्पादन से संबंधित हों;
- (f) कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा के लिए हों;
- (g) यदि आंतरिक उपभोग एवं उत्पादन पर प्रतिबंधों के साथ निर्वातनीय प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु बनाए गए हों;
- (h) अनुबंध हस्ताक्षरी सदस्यों के लिए अनुमित अंतर-सरकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु बनाए गए हों और जिन्हें अस्वीकार नहीं कर दिया गया हो;
- (i) आन्तरिक उद्यमों को पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए आदानों के निर्यात पर प्रतिबंध हो। उस समय भी जब इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम हों। हां, यह अवश्य है कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से तैयार माल की लागत कम रख कर उस माल को निर्यात बढ़ाने से लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा; या ऐसे आंतरिक उद्योगों का प्रदत्त संरक्षण महासंधि

के भेदभाव युक्ति के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

- (j) सामान्य या स्थानिक रूप से दुर्लभ हो रहे पदार्थों की प्राप्ति और वितरण कके लिए आवश्यक हों; किन्तु यह भी इस नियम का पालन करते हुए होना चाहिए कि सभी अनुबंध हस्ताक्षरी पक्षों को ऐसे पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति में उचित भाग पाने का अधिकार है और महासंधि के प्रावधानों के विपरीत ऐसे सभी प्रावधान उन्हें लागू करने का कारण बनी परिस्थितियों में सुधार होते ही निरस्त कर दिए जाएंगे

11.54 इन दोनों (भारतीय संविधान और WTO नियमावली) में दो बड़े अंतर हैं : पहला तो निर्बन्ध व्यापार। सांझा बाजार के नियमों से पलायन (अस्थाई) के लिए कारणों को WTO ने अधिक स्पष्ट और संकीर्ण रूप से निर्दिष्ट कर दिया है, भारतीय संविधान ने तो एक बहुत ही विस्तृत 'जनहित' की कसौटी की चर्चा मात्र की है। दूसरे, और अधिक महत्वपूर्ण वे कसौटियां हैं जिनका अनुपालन उक्त पलायन से पूर्व करना आवश्यक है। WTO की व्यवस्था के अनुसार उक्त उपाय में मनमाना भेदभाव नहीं होना चाहिए, संरक्षणवाद का छद्म रूप नहीं होना चाहिए और सबसे अधिक, ऐसा करना अनिवार्य हो गया हो, तभी होना चाहिए।

11.55 WTO के न्यायशास्त्र ने पिछले वर्षों में इन तीन तथा अन्य कसौटियों का भी विस्तार प्रसार किया है। उदाहरण : जो पक्ष 'अपवाद' के नाम पर बाजार से बाहर रहने की बात करता है उसी पर अपवाद को सिद्ध करने का दायित्व होगा। साथ ही अपनाए गए उपाय सुलभ विकल्पों में न्यूनतम प्रतिबंधकारी होने चाहिए और मनमानीपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण भेदभाव को रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन होना चाहिए।

11.56 मुख्य बात तो यह है कि WTO में एक सांझे बाजार से बहुत ही विविधतापूर्ण देशों को भी थोड़ा बहुत हटने की सुविधा पर कड़े प्रतिबंध हैं। जबकि भारतीय संविधान तथा संवैधानिक न्यायशास्त्र इन पलायनों को सहज ही क्षमा कर देता है।³³

³³ कहा जा सकता है कि WTO सांझे बाजार के नियम के उल्लंघन पर कड़ा रूख धारण कर सकता है क्योंकि यह देशों को अपनी सीमा पर शुल्क के रूप में कर लगाने की अनुमति देता है। इसका भारत के भीतर समतुल्य तो राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया प्रवेश शुल्क ही हो सकता है, जो सीमा शुल्क जैसा ही कर होगा।

11.57 आज जब भारत सहयोगी संघवाद के विचार को अपना रहा है, यह प्रश्न विचारणीय हो जाता है : यदि भारत एक बाजार के अमेरिकी एवं यूरोपीय संघ के कई मानकों को नहीं अपना पा रहा तो क्या इसे विश्व भर के देशों द्वारा एक सांझे विश्व बाजार की रचना के लिए गढ़ी गई व्यवस्था को नहीं अपना लेना चाहिए?

V. निष्कर्ष

11.58 संविधान की रचना के समय एक बड़े और विविधतापूर्ण राष्ट्र को एक रखने के प्रति बड़ी चिन्ता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान की मांग दोनों ही बहुत प्रबल थीं। आज 70 वर्ष बाद एक राष्ट्र और एकता की भावना बहुत प्रबल हो चुकी है और भौगोलिक अखंडता के प्रति चिन्ताएं धूमिल पड़ चुकी हैं। सहयोगी संघवाद अब प्रशासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष बन रहा है। इसी को परिलिखित करते हुए देश में सर्व सम्मति से एक बड़ा संविधान संशोधन पारित कर जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है। इससे आन्तरिक बाजार में एक जैसे अप्रत्यक्ष कर संभव हो जाने चाहिए।

11.59 इसी को आधार बना देश इस एक भारतीय अर्थव्यवस्था के विचार को अन्य क्षेत्रों-आयामों में परिवर्धित कर सकता है। वस्तुतः जुलाई 14, 2014 के अपने बजट भाषण में माननीय वित्तमंत्री ने इस सिद्धांत को कृषि पर परिवर्धित करने के विचार का प्रतिपादन किया था, “पूरे देश में स्पर्धा संवर्धन और बाजारों के एकीकरण से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों का और आगे संवर्धन होगा....”

11.60 इस अध्याय में प्रस्तुत साक्ष्य और भारतीय इतिहास की समीक्षा सुझा रही है कि एक आर्थिक भारत के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र और राजनीति बहुत तीव्र गति से अग्रसर हैं। संभवतः अब समय आ गया है कि संविधान भी आन्तरिक एकीकरण के इस उत्कर्ष को और सहायता प्रदान करने का मन बना लें।

संदर्भ

1. Directorate General of Commercial Intelligence Services (DGCIS), “*India’s Internal Trade: A Review of Interstate Movement of Major Commodities*”, Report.
2. Center for Transportation Analysis, *Freight Analysis Framework*: <http://faf.ornl.gov/fafweb/>
3. British Columbia Statistics, [http://www.bcstats.gov.bc.ca/Statistics/BySubject/Exports Imports/ Data.aspx](http://www.bcstats.gov.bc.ca/Statistics/BySubject/ExportsImports/Data.aspx)
4. Eurostat, “International trade in goods”, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/International_trade_in_goods
5. Xing, Weibo, John Whalley and Shantong Li (2015), “*Value, Structure and Spatial Distribution of Interprovincial Trade in China*”, *China & World Economy*, 23 (4), pp. 84-103
6. Firdaus, Muhammad and Amalia Widyasanti (2010), “*Indonesian Interprovincial Trade: What can be Revealed from a Gravity Modeling?*”, Conference paper presented at Indonesian Regional Science Association International Conference, July 2010.
7. Vasconcelos, Jose (2001), “*Matriz fo Fluxo de Comercio Interstadual de Bens e Serviços no Brazil – 1999*”, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Discussion Paper.
8. Anderson J.E., Wincoop, E. Van, “*Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle.*” *the American Economic Review*, 2003

9. Bernard, Andrew, Bradford Jensen, Stephen Redding, Peter Schott, (2007), “*Firms in International Trade*”, *Journal of Economic Perspectives*, 21 (3), pp. 105-130
10. Rose, Andrew (2003), “*Do We Really Know that WTO Increases Trade?*”, *American Economic Review*, 94 (1) , pp.98-114
11. Subramanian, Arvind and Shang-Jin Wei (2007), “*The WTO Promotes Trade, Strongly but Unevenly*”, *Journal of International Economics*, 72 (1), pp. 151-175
12. Head, Keith and Thierry Mayer (2010), “*Illusory Border Effects : Distance Mismeasurement Inflates Estimates of Home Bias in Trade*” in Brakman, Steven and Peter van Bergeijk eds. *The Gravity Model in International Trade: Advances and Applications*, Cambridge University Press.
13. Baldwin, Richard and Daria Taglioni (2007), “*Trade effects of the euro: A comparison of estimators*”, *Journal of Economic Integration*, 22(4) pp.780–818
14. Disdier, Anne-Celia and Keith Head (2008), “*The Puzzling Persistence of the Distance Effect on Bilateral Trade*”, *The Review of Economics and Statistics*, 90 (1), pp.37-48

राज्यों के जोड़े/युग्म

परिशिष्ट तालिका 1 में अंतर्फल व्यापार का स्वरूप राज्य-युग्मों के अनुसार दिखाया गया है। रंग की गहराई ही दो राज्यों के एक युग्म के बीच व्यापार भागीदारी की गहनता दर्शा रही है। गहरा नीला रंग दिखाता है कि दोनों राज्य परस्पर एक-दूसरे के व्यापार आबंटन में उच्च क्रम पर स्थित हैं। गहरा लाल रंग इसके विपरीत स्थिति दिखा रहा है, अर्थात् दोनों परस्पर व्यापार क्रमिकता में निम्न स्तर पर रह जाते हैं।

रंग कूट प्रत्येक अन्य राज्य के व्यापार प्रवाह में महाराष्ट्र की केन्द्रीय भूमिका को दर्शा रहे हैं : यह प्रत्येक राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्यात भागीदार है और यह प्रायः सभी राज्यों से वस्तुओं का प्रमुख आयातक भी है। रंग वर्णक्रम के दूसरे छोर पर असम स्थित है : सभी राज्यों के साथ इसके आयात और निर्यात क्रम न्यून हैं। सामान्य रूप से राज्य अपने निकटवर्ती राज्यों के साथ ही अधिक व्यापार करते हैं तथा अपेक्षाकृत धनिक राज्यों का परस्पर व्यापार अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होता है (यह बात अध्याय के मुख्य पाठ के निष्कर्षों की ही एक झलक है)।

परिशिष्ट तालिका 2 इन्हीं रंग कूटों का प्रयोग कर राज्य युग्म के बीच अन्तःफल व्यापार प्रवाहों को दर्शा रही है। इन अन्तर्राज्यीय प्रवाहों में भी महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है (आयात में भी, निर्यात में भी)। यही बात हमने अन्तर्फल व्यापार के संबंध में भी देखी थी। इसके विपरीत लगता है फर्मों ने उत्तरपूर्वी राज्यों, पंजाब तथा छोटे संघशासित प्रदेशों में अपनी शाखाएं स्थापित नहीं की हैं। संघशासित प्रदेशों को लेकर दो अपवाद हैं : दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जनपदों के साथ F-फॉर्म व्यापार विधि का प्रयोग करती है; और दादरा व नगर हवेली, जो इतना बड़ा आयात केन्द्र तो नहीं है फिर भी आश्चर्यजनक रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए एक निर्णायक निर्यात भागीदार बना हुआ है। इस व्यापार स्वरूप के कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो पा रहे।

तालिका 1 : राज्य युगों में अन्तर्गम व्यापार प्रवाह (C-फॉर्म, वित्त वर्ष 2015-16, रूपए करोड़) ³⁴

आयात करने वाले राज्य

राज्य	महाराष्ट्र	गुजरात	कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश	उत्तराखण्ड	राजस्थान	मध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल	तमिल नाडु	केरला	ओडिशा	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	छत्तीसगढ़	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा	बिहार	झारखण्ड	गोवा	आसम
महाराष्ट्र		85679	40253	30734	22679	10215	23634	11409	18793	12336	5438	4380	6583	7783	7137	4006	3629	2957	7038	449
गुजरात	82044		12882	19679	11717	35627	22534	9664	11643	10618	6487	6464	3871	4799	4378	8105	1536	1457	4945	279
तमिलनाडु	40113	14463	40075	26217	3846	4984	7923	6520		19856	4385	2136	2879	3146	1490	1414	1136	1991	1126	331
हरियाणा	25267	15327	11534	8665	14124	15965	7049	7390	4761	6764	2898	6380	9469	2374	8227		3137	1882	969	871
कर्नाटक	32519	9828		20777	3430	3465	8229	5686	19300	13589	3332	2218	2117	2042	1158	1782	967	1535	3403	223
आन्ध्र प्रदेश	25071	6345	18941		2092	9769	4514	4664	10614	5291	6901	1728	1138	2897	1794	692	1187	726	1276	161
उत्तर प्रदेश	10849	8521	4037	3225	26900	5569	5983	4133	1859	1514	1450		5848	1385	3488	4873	2141	968	271	162
राजस्थान	11307	33743	3501	3644	7714		4868	5058	2231	1778	1531	3149	3368	1014	2113	2776	2020	1102	308	231
दिल्ली	8203	9898	4519	2642	16912	7089	2684	2885	1628	2195	1377	8791		1511	6642	6729	1265	416	216	195
पश्चिम बंगाल	9716	6667	2995	4550	1783	2181	4066		2194	1219	8442	1516	1399	4929	807	911	7006	6632	129	951
मध्य प्रदेश	11181	6843	2267	3252	2650	7227		8540	2201	697	1288	3006	2086	3101	1008	726	1047	724	1057	55
उत्तराखण्ड	8691	3498	4007	2890		2910	3146	3083	1497	972	1265	3191	5646	1185	2655	1786	1958	1214	188	145
ओडिशा	7294	2385	2426	4301	1337	940	2090	9359	575	357		933	347	6832	174	311	1574	2172	34	187
छत्तीसगढ़	11062	4265	2421	5556	505	2866	5923	1635	687	412	2659	743	646		330	347	342	852	120	150
झारखण्ड	2092	1029	1347	1388	1750	1316	1174	10930	472	297	1796	2733	518	1657	421	1183	4670		35	48
हिमाचल प्रदेश	3295	1571	1368	1060	2410	1491	1630	919	481	309	302	1228	2388	243		1560	555	137	54	23
केरला	2830	1041	3820	1383	261	183	326	421	3559		221	208	338	73	160	89	72	82	90	5
गोवा	2756	716	1817	552	177	285	386	405	265	678	121	108	266	69	106	90	85	59		14
आसम	602	695	203	212	75	157	541	1777	33	22	169	266	188	236	21	158	608	96	0	
बिहार	121	44	42	38	110	85	136	417	67	3	85	267	59	96	32	15		464	0	12

नवीन नवीन

³⁴ इन तालिकाओं में राज्यों के आयात-निर्यात मूल्य संतुलित युग तालिका में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार ही है। व्यापार का वास्तविक मूल्य कहीं अधिक है, क्योंकि अन्य राज्यों और संघशासित प्रदेशों से प्रवाह प्रकृति की सहजता के कारण यहां नहीं दिखाए गए हैं।

तालिका 2 : राज्य युगों में अन्तर्कर्म व्यापार प्रवाह (F-फॉर्म, वित्त वर्ष 2015-16, रूपए करोड़)³⁵

आयात करने वाले राज्य

	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	पश्चिम बंगाल	राजस्थान	गुजरात	केरला	दिल्ली	तमिल नाडु	छत्तीसगढ़	दादरी एवं नगर हवेली	झारखंड	ओडिशा	उत्तर प्रदेश	गोवा	पुद्दुचेरी	दमन एण्ड दीयु	चंडीगढ़	नालैंड	मणिपुर	मिजोरम	पंजाब
गुजरात	101038	99736	10346	9954	5671	8406		2937	4461	3578	5040	11615	298	629	3670	1135	305	2008	72	0	0	0	0
महाराष्ट्र		25693	23173	23814	15009	7415	36044	7762	7144	8429	7930	5449	1450	2477	1177	4390	529	1854	145	62	0	0	0
तमिलनाडु	23638	4672	27506	25173	7889	4050	5848	26102	2772		848	14232	888	999	644	481	6693	67	25	0	0	1	2
हरियाणा*	14987	6088	14833	8677	5247	14138	1164	1828	20889	2293	5204	148	1596	880	5353	83	62	76	176	103	1	0	0
आन्ध्र प्रदेश	23665	2669		21273	6099	1891	4816	7312	599	7072	5760	156	946	5865	511	415	1301	18	14	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	13211	6440	4765	6764	6896	12272	1272	2344	13809	1780	1684	328	1202	1265		1066	60	54	72	24	1	0	1
कर्नाटक	27107	2365	13997		2842	2250	2763	9133	1267	7725	516	45	187	456	256	1429	563	61	48	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	9604	1987	6772	3107		1464	1210	1364	1576	1495	2086	582	8108	797	1248	454	58	37	84	0	0	2	0
उत्तराखण्ड*	16109	4509	3867	2992	5015	3839	633	1285	3643	1319	1176	14	692	726	1026	62	92	27	99	1	0	0	0
दिल्ली	11260	4085	3051	4381	3718	10019	1524	1087		1746	851	53	633	551	3189	171	48	1	171	12	2	2	0
पंजाब	12724	2214	3704	7748	3450	4342	390	1162	2288	1193	868	3	604	638	1032	172	11	19	605	637	0	0	
मध्य प्रदेश	14664		2544	2688	2289	2701	4144	1394	753	870	2346	847	459	423	1374	177	20	31	13	0	4	0	0
झारखंड	10176	1554	1720	1285	11807	2148	1674	140	529	1413	897	2		1302	519	2	3	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	4538	653	2949	1309	10142	994	1712	997	124	606	2684	1024	3340		446	83	8	1	134	0	0	0	0
आसम*	1221	276	1102	364	23304	0	0	32	684	87	42	154	644	248	46	2	4	0	1	135	275	273	0
केरला	2013	482	13229	5593	389	196	468		149	3405	110	27	90	113	8	481	725	6	1	0	0	0	0
दादरी एवं नगर हवेली	5334	4203	1052	734	430	2896	4295	236	225	1213	133		25	74	155	8	90	245	10	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	4402	769	1105	1529	2867	963	740	696	191	650		1	2386	1144	278	69	1	0	1	0	0	0	0
राजस्थान	3747	2470	963	1887	1375		501	384	3376	543	451	10	222	152	861	162	3	9	46	9	0	0	0
गोवा	6818	845	1386	2992	563	597	790	930	223	579	158	23	65	168	58		33	7	5	2	0	2	0

आयात करने वाले राज्य

³⁵ ऐसे राज्यों को इंगित करता है, जिन्होंने आयात की कोई जानकारी नहीं दी है।

	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटक	पश्चिम बंगाल	राजस्थान	गुजरात	केरला	दिल्ली	तमिल नाडु	छत्तीसगढ़	दादरी एवं नगर हवेली	झारखंड	ओडिशा	उत्तर प्रदेश	गोवा	पुडुचेरी	दमन एण्ड दीवु	चंडीगढ़	नालैंड	मणिपुर	मिजोरम	पंजाब
पुडुचेरी	1643	236	1317	2026	571	236	354	1600	126	2672	52	28	53	94	103	26		163	2	0	0	0	0
सिक्किम*	17	633	37	6	8753	3	49	6	9	152	1	0	1	10	0	14	0	8	0	0	0	0	0
बिहार*	318	425	82	161	2999	19	18	7	58	34	61	1	1023	327	405	2	3	0	0	0	0	0	0
दमन एण्ड दीवु	2556	127	211	260	343	89	1332	29	44	64	37	307	19	28	11	18	17		0	0	0	0	0
जम्मू एंड कश्मीर*	1292	190	601	255	303	182	28	52	307	34	93	2	17	50	114	4	0	0	3	0	0	0	0
चंडीगढ़	318	15	12	64	8	78	8	11	151	68	2	0	4	4	2	2	1	0		0	0	0	4
मेघालय*	0	0	0	1	74	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	92	39	0
त्रिपुरा*	3	1	0	0	111	31	4	1	17	0	0	0	35	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
नालैंड	1	0	53	2	64	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		0	0	0
लक्ष्मदीप*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश*	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

निम्नलिखित

1B. व्यापार निर्बन्धता (खुलापन) और व्यापार की स्पर्धाशीलता

मुख्य पाठ में प्रस्तुत रेखाचित्रों के साथ-साथ परिशिष्ट तालिका 3 व्यापार निर्बन्धता और व्यापार संतुलन को राज्य जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अधिक राज्यों के लिए दर्शा रही है (इन अतिरिक्त राज्यों में F-फॉर्म में आयात दर्ज नहीं होते किन्तु इनके निर्यात की जानकारी सुलभ है)।

तालिका 3 : व्यापार का परिमाण और व्यापार संतुलन

व्यापार (निर्यात+आयात) GSDP के अनुपात में (C फॉर्म)		व्यापार (निर्यात+आयात) GSDP के अनुपात में (F फॉर्म)	
असम	5.30%	उत्तर प्रदेश	8.49
बिहार	9.90%	राजस्थान	11.84
उत्तर प्रदेश	13.70%	पश्चिम बंगाल	15.55
केरल	17.90%	तमिलनाडु	15.69
पश्चिम बंगाल	20.40%	दिल्ली	16.83
आंध्र प्रदेश	23.40%	ओडिशा	16.88
तमिलनाडू	24.40%	केरल	16.95
दिल्ली	27.30%	आंध्र प्रदेश	19.19
झारखंड	27.80%	कर्नाटक	20.00
ओडिशा	30.30%	छत्तीसगढ़	20.80
कर्नाटक	32.00%	महाराष्ट्र	23.87
राजस्थान	33.30%	झारखंड	25.54
महाराष्ट्र	33.50%	गुजरात	35.76
मध्य प्रदेश	34.20%	मध्य प्रदेश	39.47
छत्तीसगढ़	36.80%	गोआ	60.34
हरियाणा	43.10%	कुल	15.76
गुजरात	52.60%		
हिमाचल प्रदेश	60.50%		
गोआ	66.30%		
उत्तराखंड	105.20%		
कुल	25.97% ³⁶		

* व्यापार के मान वित्त वर्ष 2015 के, GSDP (2011-12) कीमतों पर वित्त वर्ष 2014 की है।

* व्यापार के मान वित्त वर्ष 2015 के, GSDP (2011-12) कीमतों पर वित्त वर्ष 2014 की है।

³⁶ सकल मान की विभाजक भारत की वित्त वर्ष 2015 की जीडीपी है।

**व्यापार शेष GSDP के प्रतिशत के रूप में
(C फॉर्म)**

उत्तराखंड	-43.50%
गोआ	-27.00%
हिमाचल प्रदेश	-20.20%
केरल	-12.10%
मध्य प्रदेश	-9.90%
बिहार	-8.80%
राजस्थान	-3.40%
पश्चिम बंगाल	-3.30%
आंध्र प्रदेश	-3.30%
कर्नाटक	-2.50%
ओडिशा	-2.10%
छत्तीसगढ़	-1.60%
महाराष्ट्र	0.60%
असम	0.80%
उत्तर प्रदेश	4.20%
झारखंड	4.30%
गुजरात	5.20%
तमिलनाडु	9.30%
दिल्ली	7.40%
हरियाणा	26.10%

* व्यापार शेष वित्त वर्ष 2015, GSDP (2011-12) कीमतों पर वित्तवर्ष 2014 की है, पं. बंगाल के लिए 2004-05 की श्रृंखला के 2014 के आंकड़े प्रयोग किए गए हैं। ऋणात्मक मान का अर्थ है राज्य निवल आयातक है।

**व्यापार शेष GSDP के प्रतिशत के रूप में
(F फॉर्म)**

मध्य प्रदेश	-24.27
केरल	-6.81
राजस्थान	-6.25
छत्तीसगढ़	-5.74
महाराष्ट्र	-4.69
कर्नाटक	-4.29
पश्चिम बंगाल	-3.81
आंध्र प्रदेश	-2.33
दिल्ली	1.88
ओडिशा	2.86
उत्तर प्रदेश	5.84
झारखंड	6.86
तमिलनाडु	8.39
गोआ	10.67
गुजरात	21.59

* व्यापार शेष वित्त वर्ष 2015, GSDP (2011-12) कीमतों पर वित्तवर्ष 2014 की है, पं. बंगाल के लिए 2004-05 की श्रृंखला के 2014 के आंकड़े प्रयोग किए गए हैं। ऋणात्मक मान का अर्थ है राज्य निवल आयातक है।

1C. C तथा F-फॉर्म व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं में असमानता

जैसा कि हमने मुख्य पाठ में भी ध्यान दिलाया था, दो प्रकार के अन्तर्राज्य व्यापारों में सम्मिलित वस्तुओं में बहुत अंतर हैं। परिशिष्ट तालिका 4 में दोनों व्यापारों में सांझी वस्तुओं के व्यापार मूल्य हरे रंग द्वारा दिखाए गए हैं। यहां आंध्र और तेलंगाना को एक साथ ही माना गया है।

तालिका 4 : प्रत्येक प्रसार के व्यापार में शीर्षस्थ 15 वस्तुएं

संयुक्त आन्ध्र प्रदेश में C-फॉर्म वाली शीर्षस्थ 15 वस्तुएं		संयुक्त आंध्र प्रदेश में F-फॉर्म वाली 15 शीर्षस्थ वस्तुएं	
वस्तुएं	आयात का मूल्य (रू. करोड़)	वस्तुएं	आयात का मूल्य (रू. करोड़)
सभी मोटर वाहन, ट्रैक्टर छोड़कर	13983	चांदी, जेवर कीमती रत्न	5268
लोहा और इस्पात	10104	ट्रैक्टर, पुर्जे और अन्य कृषि उपकरण	4064
वाहन पुर्जे	6485	ट्रैक्टर को छोड़ अन्य वाहन	1693
रंग और रसायन	5575	उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिक्स	1392
बिजली के सामान, इंजनों/मोटरों को छोड़कर	4873	लोहा और इस्पात	1142
मशीनें	3224	कृषिनाशक	636
कोयला	3198	डीजल	544
परिधान और होजरी	3066	उर्वरक	432
पैकिंग का सामान	2659	पेट्रोल	387
कपास	2583	चिकने पदार्थ और अन्य पेट्रो उत्पादन	380
प्लास्टिक का कच्चा माल	1606	बिजली के सामान, ईजन मोटर को छोड़कर	308
सभी वनस्पति तेल	1545	सभी गैर लौह धातुएं	292
कागज	1465	इलैक्ट्रॉनिक्स	259
इलैक्ट्रॉनिक्स	1246	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	249
तारकोल	1155	परिधान और होजरी	183

1D. गुरुत्वाकर्षण रूपरेखा के प्रति दृढ़ता

इस परिशिष्ट में मूल पाठ में चर्चित गुरुत्वाकर्षण अनुमानों की दृढ़ता पर अधिक विस्तार से समीक्षा की जा रही है। रूपरेखा का पूर्ण विवरण तालिका 5 में दिया गया है। यहां भी उन्हीं चरों का प्रयोग हुआ है जो मूल पाठ में हैं। प्रतिमान (1) और (2) में फासलों का मापन क्रमशः राज्यों के व्यापार केन्द्र और प्रशासकीय राजधानियों से किया गया है। प्रतिमान (3), (4), (6), (8), (11) और (12) मुख्य पाठ की तालिका 2 के स्तंभ (1-6) के अनुरूप हैं। प्रतिमान (7) और (5) में क्रमशः अन्तःफर्म और अन्तर्फर्म व्यापारों के लघुगणकों से राज्य जीडीपी पर प्रतीपगमन आंकलित किए गए हैं (दोनों प्रवाहों के लिए समान राज्यों की जानकारी का प्रयोग किया गया है)। यहां प्रतीपगमन आंकलन में अन्य मानक गुरुत्वाकर्षण चर भी सम्मिलित हैं। प्रतिमान (9), (10) में अमेरीकी राज्यों के संपूर्ण प्रतिदर्श के आंकड़े (कृषिक उत्पादों सहित) तथा केवल वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण मापन के लिए प्रयोग किए गए हैं।

A. राज्य जीडीपी के गुणंक

जैसा हमने मुख्य पाठ में देखा था व्यापार की आय लोच का व्यापार प्रवाहों से धनात्मक सह संबंध है। वहीं रेखाचित्र 3 में दिखाए गए सकल व्यापार प्रवाहों के साथ भी यह निष्कर्ष संगतिपूर्ण है, अर्थात् उच्च आय राज्य अन्य राज्यों के साथ अधिक व्यापार करते हैं। आय के गुणंक फासलों के विभिन्न निरूपणों, विभिन्न प्रतिदशों भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विभिन्न प्रवाहों में भी दृढ़तापूर्ण सिद्ध होते हैं। स्तंभ-7 दर्शा रहा है कि एक राज्य की जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अन्तःफर्म व्यापार के प्रवाह में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ संबंध है। यह लोच का मान अन्तःफर्म व्यापार (स्तंभ 5) से कुछ कम है। यह तथ्य भी मुख्य पाठ के रेखाचित्र 5 में दर्शाए गए स्वरूपों के साथ संगतिपूर्ण है।

B. सन्निकटता गुणंक

साथ लगते हुए राज्य के तदर्थ चर सांझी सीमा के व्यापार की संबंधों की प्रबलता के प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं। किन्तु अनुमानित संबंध में राज्यों के बीच फासलों के मापन के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। (यदि हैड और मेयर, 2010 के निष्कर्षों पर ध्यान दें तो यह बात विचित्र भी नहीं है)। जैसे-जैसे अंतर का मापक वस्तुओं द्वारा तय किए गए वास्तविक अंतर (राज्यों की आर्थिक राजधानियों, न कि भौगोलिक केन्द्र बिन्दुओं) के निकट पहुँचता है तो सांझी सीमाओं वाले राज्यों के बीच व्यापार प्रवाह के आकार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी ही हमारी अपेक्षा भी है। जब अन्तर का मापन राज्यों की आर्थिक राजधानियों के अनुसार होता है तो व्यापार प्रवाह 41 प्रतिशत³⁷ अधिक हो जाते हैं (देखें स्तंभ 3)। राज्यवार स्थिर प्रभाव हमें व्यापार की अनावलोकित राज्य विशिष्ट विशेषताओं को आंकलन में सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। अतः इन्हें मुख्य पाठ तथा आगामी चर्चा में वरीयतापूर्ण रूपरेखा में स्थान दिया गया है।

³⁷ =exp(0.349)-1

तालिका 5 : गुरुत्वाकर्षण अनुमानों की सुदृढ़ता की जांच

आश्रित चर स्वह (आयात मूल्य)	भारत										संयुक्त राज्य अमेरिका									
	अंतर्फल					अंतर्फल केवल & फॉर्म					अंतःफल		कृषि सहित		कृषि रहित					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
स्वह (फासला): केन्द्र	-1.480*** (0.186)																			
स्वह (फासला): प्रशासकीय राजधानी		-1.253*** (0.160)																		
स्वह (फासला): आर्थिक राजधानी			-0.928*** (0.169)	-0.565*** (0.0952)	-0.692*** (0.221)	-0.539*** (0.116)	-0.7305*** (0.2613)	-0.8180*** (0.1674)	-0.984*** (0.024)	-0.974*** (0.069)	-0.965*** (0.024)	-0.938*** (0.068)								
साथ लगते राज्य का तदर्थ चर	-0.0811 (0.205)	0.172 (0.184)	0.349* (0.193)	0.638*** (0.117)	0.706*** (0.188)	0.704*** (0.123)	0.7442*** (0.2429)	0.4949** (0.1999)	0.992*** (0.071)	0.902*** (0.103)	0.994*** (0.072)	0.937*** (0.097)								
हिन्दी का तदर्थ चर	-0.347* (0.179)	-0.305* (0.181)	-0.391** (0.187)	-0.0225 (0.133)	-0.562*** (0.15)	-0.037 (0.16)	-0.4683* (0.2508)	0.4061* (0.2330)												
स्वह (आयातक GSDP)	0.826*** (0.0914)	0.856*** (0.0926)	0.816*** (0.0934)		0.953*** (0.0513)		0.7407*** (0.0778)		1.062*** (0.017)		1.101*** (0.017)									
स्वह (निर्यातक GSDP)	0.968*** (0.0548)	0.998*** (0.0577)	0.958*** (0.0568)		0.790*** (0.0717)		0.7743*** (0.0989)		0.954*** (0.017)		0.928*** (0.017)									
आयातक राज्य FE	No	No	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes								
निर्यातक राज्य FE	No	No	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes								
R-squared	0.548	0.543	0.522	0.903	0.72	0.91	0.57	0.83	0.83	0.9	0.83	0.9								
अवलोकन	380	380	380	380	210	210	210	210	2450	2450	2450	2450								

मानक त्रुटि कोष्ठकों में दर्शाई गई हैं।
*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

C. भाषा का गुणक

भाषा का तदर्थ चर यह जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या हिन्दी भाषी प्रांत आपस में ही (अन्य भाषी प्रांतों की अपेक्षा) अधिक व्यापार करते हैं। जब हम स्थिर प्रभावों वाली वरीयतापूर्ण रूपरेखा का प्रयोग करते हैं तो पूर्ण और सीमित, दोनों ही प्रतिदर्शों में अन्तःफर्म व्यापार में इस गुणक का मान महत्वहीन रहता है। किन्तु यह गुणक अन्तःफर्म व्यापार में 90 प्रतिशत आश्वस्ति पर महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि हम राज्य जीडीपी को तुलना की कसौटी बनाएं, तब भी यह गुणक महत्वपूर्ण हो जाता है।

D. अन्तर (फासले) का गुणक

सबसे बड़ी जानकारी तो यह है कि भारत में व्यापार प्रवाह की अंतर के प्रति लोचशीलता अपेक्षा से काफी कम है। वरीयतापूर्ण रूपरेखा में (स्तंभ 4) आर्थिक राजधानियों के बीच अंतर में 10 प्रतिशत की वृद्धि से अन्तःफर्म व्यापार में 5.65 प्रतिशत की गिरावट आती है। अन्तःफर्म प्रवाहों (स्तंभ 7) में 10 प्रतिशत की अंतर की वृद्धि से केवल 7.3 प्रतिशत की कमी होती है। यदि स्रोत और लक्ष्य राज्यों की सदैव अपरिवर्तनीय विशेषताओं को तुलना की कसौटी बनाकर चलें तो यह लोचशीलता 8.1 प्रतिशत हो जाती है। भारत में अन्तःफर्म व्यापार के लिए इस चर का गुणक अन्तःफर्म व्यापार की अपेक्षा अधिक है, उस समय भी जब उन्हीं राज्य युग्मों के आधार पर गुरुत्वाकर्षण प्रतिमान का आंकलन किया जाता है (स्तंभ 6)।

अन्तः और अन्तःफर्म व्यापारों की फासलों की लागतों में अन्तर का एक संभावित कारण यह हो सकता है : अन्तःफर्म व्यापार के लिए तो स्रोत एवं लक्ष्य, दोनों स्थानों पर फर्म की मौजूदगी जरूरी है जबकि अन्तःफर्म व्यापार में केवल एक इच्छुक क्रेता (विक्रेता) का होना पर्याप्त रहता है। फासले बढ़ने पर सहायक फर्म की स्थापना की लागतें व्यापार की इच्छुक किसी अन्य फर्म की तलाश की लागत से अधिक हो जाती हैं। फर्मों के बीच व्यापार पर (राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच) करों में अंतर भी अधिक व्यापार के पक्ष में संप्रेरणाओं को मोड़ सकता है। किन्तु अन्तःफर्म व्यापार में यह विकृति न तो राज्य के भीतर आती है और न ही राज्य की सीमा के बाहर आती है।

दो प्रकार के व्यापार प्रवाहों के गुणकों में अंतर के बाद भी इन गुणकों की अन्य देशों के भीतर ऐसे ही गुणकों से तुलना करना बहुत अहम रहेगा। सौभाग्यवश हमें संयुक्त राज्य अमेरीका से ऐसे ही व्यापार की जानकारी मिल रही है। संयुक्त राज्य में दो राज्यों के बीच अंतर उनके सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बीच के अंतर को माना जाता है। कृषि वस्तुओं से रहित एवं सहित दोनों प्रतिदर्शों पर अलग-अलग प्रतीपगमन आंकलन किया गया है (प्रतिमान (11) और (12))। कृषि उत्पाद रहित रूपरेखा दोनों देशों के वस्तु समूहों को तुल्य बना देती हैं। भारत जैसी ही प्रवृत्तियां संयुक्त राज्य में भी दिखाई दी हैं राज्यों के बीच व्यापार राज्यों की जीडीपी और उनकी सन्निकटता से सह संबंध दर्शा रहे हैं।

अमेरीकी प्रतिदर्श में राज्य जीडीपी की तुलना-कसौटी और विशिष्ट अचल प्रभावों वाली रूपरेखाओं के बीच फासले का गुणक बहुत स्थिरतापूर्ण है। इससे संकेत मिलता है कि राज्य जीडीपी का मापक अधिकांश बार राज्यों के बीच अचल अंतरों के प्रभाव को भी समाहित कर लेता है। यह स्थायित्व (9) और (11) में आंकलित उच्च R वर्ग में भी झलक रहा है।

यहां चौकाने वाला परिणाम तो यह है कि अमेरीकी राज्यों में फासलों में 10 प्रतिशत की वृद्धि से व्यापार में औसतन 9.8 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत की कमी आ जाती है। यह परिणाम प्रतिदर्श चयन से अप्रभावित है। इसकी भारत से तुलना करें जहां अन्तर में इतनी ही वृद्धि 5.6 प्रतिशत से 8.1 प्रतिशत की अंतःफर्म और अन्तःफर्म व्यापार में कमी का कारण बनती है। वह भी जब कि संयुक्त राज्य का परिवहन तंत्र भारत की अपेक्षा अधिक विकसित है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में आंतरिक व्यापार उतना बुरा नहीं है जितनी प्रायः आशंका कर ली जाती है।

आगे बढ़ने से पूर्व बाल्डविन (2007) के गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण में होने वाले पूर्व रूझानों विषयक अध्ययन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वरीयता प्राप्त रूपरेखा में राज्य स्तरीय अचल प्रभावों का प्रयोग अनुमानों में से

समय-अपरिवर्ती रूझानों को कम कर देता है (इसे एंडरसन और बान विनकूप (2001) ने बहुपक्षीय व्यापार विरोध का नाम दिया है)। किन्तु राज्य युगमानुसार अचल प्रभावों का योग संभव नहीं होता। इसी लिए प्रकृति विशिष्ट द्विपक्षीय व्यापार प्रभाव परिणामों में कुछ रूझान पैदा करते रहते हैं (संभवतः छोटी जनसंख्याओं वाले राज्य आपस में ज्यादा अच्छी तरह व्यापार कर लेते हैं)। हमारे आंकड़े समय के अनुसार बदलने वाले प्रभावों को विभिन्न देशों के बीच सापेक्ष कीमतों को स्थिर रखने की अनुमति भी नहीं देते। इससे तो अन्तर का गुणक रूझानपूर्ण हो जाएगा। जहां तक व्यापार वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें व्यापार के मूल्य से ऋणात्मक संबंध युक्त होती हों, अनुमित गुणकों के मान में कमी रहने का रूझान आ ही जाएगा।

E. अन्तर के गुणक के लिए अन्य तुलना मानक

गुरुत्वाकर्षण गुणकों की सैद्धांतिक व्याख्याओं की बहुलता के कारण हमारे उपर्युक्त प्रतीपगमनों से आंकलित अन्तर गुणकों की अन्य अन्तःराष्ट्रीय व्यापार लागतों से तुलना करना सहज नहीं रहता। लेखकगण प्रायः प्रतीपगमन के अंतर गुणकों को दो लोचशीलताओं का गुणनफल मानते हैं (ये अंतर को व्यापार की सभी लागतों का एक निमित्त मान लेते हैं)। ये लोचशीलताएं हैं (क) व्यापार लागतों की फासले के साथ लोच; और (ख) व्यापार की अन्तर से लोच (डिजडीअर एंड हैड, 2008)। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न अध्ययनों में अंतर गुणकों की व्याख्या में बहुत अंतर आ जाते हैं, इनके कारण होते हैं : स्थानिक समेकीकरण का स्तर, वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापकता, उत्पादिता अपकिरणन का प्रसार या व्यापार की लागतों में फसलों के कारण आने वाले परिवर्तन। इस अध्याय के अनुमानों की अन्य अध्ययनों के साथ तुलना कर पाना न केवल इन अंतरों के कारण कठिन है बल्कि अन्य कोई तुलनीय आधार उपलब्ध नहीं होना भी कठिनाइयां बढ़ा देता है (ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय या अन्तःराष्ट्रीय व्यापार प्रवाहों के सापेक्ष मापने की समस्याएं हैं जिन पर हम पहले भी ध्यान दे चुके हैं)।

भारतीय अनुमानों के अमेरिकी आंकड़ों के साथ तुलनीय आधार बनाने से पूर्व फासला गुणक का एक अन्य निकट तुलनीय मापक हम इस अध्ययन की रूपरेखा की रचना को डिजडीअर और हैड (2008) के गुरुत्वाकर्षण प्रतिमानों के फासले के गुणकों के बृहत अध्ययन में रखकर पा सकते हैं।³⁸ इस प्रयास-प्रयोग से पता चल रहा है कि बृहत प्रतीपगमन में औसत फासला गुणक का मान (-)1.64 है, अर्थात् फासले में 10 प्रतिशत की कमी से व्यापार के मूल्य का मान 16.4 प्रतिशत कम हो जाता है। इसकी भारत के फासला गुणक 5.65 के साथ तुलना करते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बृहत प्रतीपगमन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाहों के लिए पृथक तुलनीयता की कसौटी नहीं होती (वहां तो अन्तर्महाद्वीपीय प्रवाह के लिए ही तुलनीयता की कसौटी की कल्पना की गई है)। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सीमाओं का प्रभाव इस (-)1.64 के मान में तो समाहित है, किन्तु भारत के अन्तर्राष्ट्रीय अंतर गुणक के अनुमान में नहीं है।

इस बृहत अध्ययन की इतनी अधिक सीमाओं को देखते हुए यह माना जा सकता है कि भारतीय अध्ययन को इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना पहले अनुमान था। इसका कारण विभिन्न क्षेत्रों में और वस्तुओं पर करों की रचना में विविधता है या राज्य की सीमाओं की छिद्रशीलता (जो व्यापार तंत्र की सहायक हो जाती है) के कारण है, यह तो अभी पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, आशा है भविष्य में और अध्ययन इन दृश्य विरोधाभासों का निवारण कर पाएंगे।

1E. विरोधाभास के समाधान का एक प्रयास : व्यापार कर संबंधी विकृतियां

³⁸ ये विशेषताएं और इनके स्तर निर्धारक प्राचल हैं : क्या अध्ययन 1990 (=1) के बाद के वर्षों के लिए थी, एक महाद्वीप की थी (=1), केवल विकसित देशों का प्रतिदर्श था (=0), कोई विकसित देश नहीं था (=1), विखंडित आंकड़े थे (=0), सकल द्विपक्षीय व्यापार था (=0) सड़क/समुद्री अंतर (=0), सन्निकटता कसौटी (=1), सांझी भाषा (=1), व्यापार समझौता (=0), दूरस्थता (=0) देश के अचल प्रभाव (1), शून्य प्रवाह भी शामिल है (=0), कोई शून्य प्रवाह नहीं (=1), पायजो अर्द्ध -ML (=0), जीडीपी की अन्तस्थता का सुधार (=0), अच्छे स्तर का (=1) रोजनामचा।

A. केन्द्रीय विक्रय कर (CST) और मूल्य वृद्धि कर (VAT)

भारत में वर्तमान अन्तर्राज्यीय व्यापार CST और अन्तःराज्यीय व्यापार लग रहे VAT अन्तर्राज्यीय व्यापार को राष्ट्रव्यापी GST की अपेक्षा विकृत कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि वर्तमान कर प्रणाली ने आंतरिक व्यापार को बढ़ाया है या घटाया है। उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या संभावी आयातक को अपनी खरीदारी पर राज्य के अंदर से ही खरीदारी करने पर भी आदान कर श्रेय प्राप्त होगा?

केस 1 : व्यापार संप्रेरण की समाप्ति

आदान कर श्रेय (ITC) का प्रांत में आंतरिक रूप से खरीदे गए आदानों तक सीमित रहना अन्तर्राज्यीय व्यापार को हतोत्साहित करता है। राज्य से बाहर से खरीदारी पर ITC नहीं मिलना एक प्रकार से सीमा शुल्क के भुगतान का रूप ले लेता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझाएं।

तीन फर्मों, A, B, C पर विचार करें। A तथा B एक ही राज्य में है तथा C किसी अन्य में। A को यह निर्णय लेना है कि किसी आदान की खरीदारी B से करे या C से। ये दोनों ही अपना उत्पाद 100 रूपए प्रति इकाई बेच रही है। हमारी तालिका 6 का स्तंभ (1) फर्म B से A तक और आगे एक उपभोक्ता तक की आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर कीमतें, लाभ और कर दर्शा रहा है। मान लेते हैं कि वैट की दर 10 प्रतिशत है, अतः B वैट के रूप में 10 रूपए जमा कराती है और A को B से खरीदारी पर 10 रूपए का आदान कर श्रेय मिल जाता है। मान लें कि A उपभोक्ता को वह वस्तु 110 रूपए में बेचती है। अब उसे 11 रूपए वैट के रूप में जमा करने होंगे। हमारे उपभोक्ता के लिए कर सहित कीमत 121 रूपए हो जाती है।

मान लें कि A ने B के स्थान पर यही वस्तु C से मंगाई होती। अब आपूर्ति श्रृंखला का स्वरूप B.A. उपभोक्ता से भिन्न हो सकता है, किन्तु दो मान्यताएं बनानी होंगी :

- यदि उपभोक्ता कीमत स्थिर (121 रूपए) रखी जाए तो श्रृंखला स्तंभ (2) वाली होगी।
- यदि A का लाभ स्थिर रखा जाए तो श्रृंखला स्तंभ (3) वाली होगी।

एक बात तो स्पष्ट है, यदि अंतिम उपभोक्ता कीमत स्थिर रहती है तो फर्म A को B से आपूर्ति प्राप्त करना अधिक लाभप्रद है। एक स्पर्धी बाजार में A किसी उपभोक्ता से 121 रूपए से अधिक कीमत नहीं मांग सकती। यदि वह ऐसा करती है तो कोई अन्य फर्म B से माल खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचते हुए सारे खुदरा बाजार पर अधिकार कर लेगी (क्योंकि उसकी 121 रूपए होगी, जो A द्वारा मांगी जा रही कीमत से कम होगी)।

दोनों अवस्थाओं में C तो A को बिक्री पर 2 रूपए CST जमा कराएगी, किन्तु A को कोई ITC नहीं मिलेगा। यदि उपभोक्ता कीमत स्थिर रखते हैं तो A वैट के रूप में 10 प्रतिशत, अर्थात् 10 रूपए जमा कराएगी, किन्तु यदि A द्वारा प्राप्त कीमत में समंजन करें तो यह राशि 11-20 रूपए हो जाएगी। अतः कीमत स्थिर रहने पर A का लाभ घटकर 8 रूपए रह जाएगा। यदि उपभोक्ता कीमत स्थिर रखने की बाध्यता नहीं हो, तो वह 123.20 रूपए हो जाएगी। हां A का लाभ 10 रूपए ही रहता है।

उपभोक्ता तो उसी फर्म से खरीदारी करना चाहेंगे जो कम कीमत, अर्थात् 121 रूपए पर बेचने को तैयार हो। अतः विक्रेता फर्म A के हित में यही होगा कि वह B से आपूर्ति प्राप्त कर उपभोक्ता को कम कीमत पर सामान बेचे और स्वयं भी अधिक लाभ कमाए। यह उदाहरण स्पष्ट बता रहा है कि CST कैसे अंतर्राज्यीय व्यापार को हतोत्साहित करता है, क्योंकि वैट व्यवस्था में क्रैता फर्म आंतरिक फर्म से खरीदारी पर तो आदान कर श्रेय पा जाती है।

केस 2 : अन्तिम प्रयोक्ता के रूप में फर्म को आदान कर श्रेय नहीं मिलने पर

अब उस स्थिति पर विचार करें जहां फर्म A स्वयं ही अन्तिम उपभोक्ता हो। यहां तो सारा लेनदेन पंक्ति (3) में ही समाप्त हो जाता है। और हमारी तालिका स्पष्ट कर रही है कि अब तो इस फर्म को 'C' से माल मंगाना सस्ता रहता

है। राज्यों को वैट प्रणाली अनेक प्रकार के आदानों के लिए क्र्रेता फर्म को ही अंतिम उपभोक्ता मान लेती है। अतः उन्हें ITC कर लाभ नहीं मिल पाता। इस श्रेणी में आने वाली बड़ी-बड़ी चीजों में शामिल हैं : मोटर वाहन, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेंट, एयर कंडीशनर आदि। इनकी गणना अंतर्राज्यीय व्यापार के शिखर पर होती है (तालिका 6)।

केस 3: वैट मुक्त वस्तु विक्रेता फर्म को ITC नहीं मिलने पर अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन

इस अवस्था में फर्म A वैट मुक्त वस्तुएं बेचती है। वैट मुक्त चीजों के विक्रेता अपनी किसी भी खरीदारी पर किसी आदान कर श्रेय के अधिकारी नहीं होते। अतः उपभोक्ता द्वारा चुकाया गया अंतिम मूल्य ही विक्रेता फर्म को प्राप्त मूल्य होगा, किन्तु ITC नहीं मिलने के कारण आंतरिक रूप से प्राप्त आपूर्ति पर A का लाभ शून्य हो जाएगा। यही बात हम तालिका 7 में दिखा रहे हैं। यदि फर्म अपने आदान राज्य के भीतर से ही प्राप्त करती है और उसे उसी कीमत पर बेचती है तो उसे 8 रूपए का लाभ मिलता है (स्तंभ 1)। राज्य से बाहर से माल मंगा कर उतना ही लाभ कमाते हुए वह अंतिम उपभोक्ता को 102 रूपए में ही माल बेच सकती है। किन्तु यदि वह राज्य के भीतर से माल खरीद कर उपभोक्ता को बेचना चाहे तो उसे कहीं अधिक ऊँची कीमत, 110 रूपए की मांग करनी होगी (स्तंभ 3)। उदाहरण के लिए सूती धागा आंध्र प्रदेश में वैट मुक्त है। इन धागा उत्पादकों के लिए आदान कपास है, यह आंध्र में आयातित मूल्यानुसार शीर्षस्थ 15 वस्तुओं में सम्मिलित है (परिशिष्ट तालिका 4)।

तालिका 6 : फर्म को आदान पर ITC मिलता है

क्र.सं.		राज्य में B से आदान	बाहर से C से आदान	C से आदान, लाभ स्थिर रखते हुए
		(1)	(2)	(3)
(1)	विक्रेता B तथा C को प्राप्त कीमत	100	100	100
(2)	मध्यवर्ती स्तर पर कर (VAT या CST)	10	2	2
(3)	A द्वारा चुकायी गई कर सहित कीमत (1+2)	110	102	102.00
(4)	A को मिला ITC	10	0	0.00
(5)	A को उत्पादन पर प्राप्त कीमत	110	110	112.00
(6)	A द्वारा उपभोक्ता को अंतिम बिक्री कीमत पर कर	11	11	11.20
(7)	उपभोक्ता द्वारा चुकाई कर सहित कीमत (5+6)	121	121	123.20
(8)	प्रति इकाई लाभ (7-6+4-3)	10	8	10

सारणी 7: टैक्स छूट में अंतिम सामान ताकि बिक्रेता आगत पर आईटीसी प्राप्त नहीं करे।

क्र.सं.		राज्य में B से आदान (1)	बाहर से C से आदान (2)	C से आदान, लाभ स्थिर रखते हुए (3)
(1)	विक्रेता B तथा C को प्राप्त कीमत	100	100	100
(2)	मध्यवर्ती स्तर पर कर (VAT या CST)	10	2	2
(3)	A द्वारा चुकायी गई कर सहित कीमत (1+2)	110	102	102.00
(4)	A को मिला ITC	0	0	0.00
(5)	A को उत्पादन पर प्राप्त कीमत	110	110	102.00
(6)	A द्वारा उपभोक्ता को अंतिम बिक्री कीमत पर कर	0	0	0.00
(7)	उपभोक्ता द्वारा चुकाई कर सहित कीमत (5+6)	110	110	102.00
(8)	प्रति इकाई लाभ (7-6+4-3)	0	8	0